एचडीएफसी बैंक प्रीपेड कार्ड के नियम और शर्तें

कॉर्पोरेट (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) के अनुरोध पर, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड **("एचडीएफसी बैंक" या "बैंक")** ने कॉर्पोरेट और/या कॉर्पोरेट के कुछ कर्मचारियों को प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) नीचे निर्धारित इन नियमों और शर्तों ("**नियम और शर्तें**") के आधार पर और उनके अधीन जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। नीचे दिए गए नियमों और शर्तों में उपयोग किए गए सभी कैपिटलाइज़्ड शब्दों, जिन्हें विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उन्हें आवेदन (जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है) और/या इसके साथ संलग्न अनुसूचियों में दिया गया है। इसके साथ संलग्न अनुसूचियाँ नियमों और शर्तों का एक अभिन्न अंग बनेंगी:

1. परिभाषाएँ और व्याख्या

1.1. जब तक कि विषय या संदर्भ में इसके विपरीत कुछ न हो, नीचे सूचीबद्ध बोल्ड शब्दों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

"अलर्ट" का अर्थ होगा कार्डधारक द्वारा निर्धारित सहमति या निर्देशों और/या एचडीएफसी बैंक के आधार पर मोबाइल फोन पर लघु संदेश सेवा (एसएमएस) के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से संदेश के रूप में या किसी भी सोशल मीडिया या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई संदेश या अधिसूचना के रूप में भेजे गए अनुकूलित संदेश;

"वार्षिक शुल्क" का अर्थ होगा प्रत्येक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए कॉर्पोरेट द्वारा बैंक को देय शुल्क, प्रत्येक उस वर्ष के लिए जिसमें प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जारी किया गया था;

"**लागू कानून**" का अर्थ होगा कोई भी अधिनियम, क़ानून, विधि, विधान, अधीनस्थ विधान, विनियमन, अधिनियमन, अध्यादेश, संधि, नियम, निर्णय, आदेश, अधिनिर्णय, डिक्री, उप-नियम, सामान्य कानून का नियम, मंजूरी, निर्देश, दिशानिर्देश, नीति, लाइसेंस, आवश्यकता, या किसी भी सरकारी प्राधिकरण का कोई भी समान प्रकार का निर्णय, या निर्धारण, आवेदन या निष्पादन, या उसकी कोई व्याख्या या घोषणा जिसमें प्रश्नगत मामले पर अधिकार क्षेत्र हो, चाहे वह इस दस्तावेज़ की तारीख को प्रभावी हो या उसके बाद, जैसा कि समय-समय पर संशोधित, प्रतिस्थापित, पुनः अधिनियमित, प्रतिस्थापित, परिवर्तित किया जा सकता है;

"**आवेदक**" का अर्थ होगा (क) वह व्यक्ति जो एचडीएफसी बैंक द्वारा कार्डधारक को प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए आवेदन करता है, या (ख) वह कॉर्पोरेट जो एचडीएफसी बैंक के साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को जारी करने के लिए की गई किसी मौजूदा व्यवस्था के अनुसार प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को जारी करने का अनुरोध करता है;

"**आवेदन**" का अर्थ होगा आवेदक द्वारा कार्डधारक को प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट(इंस्ट्रूमेंट्स) को जारी करने के लिए प्रस्तुत किया गया आवेदन (इलेक्ट्रॉनिक, भौतिक या अन्यथा), जिसमें सभी अनुलग्नक और अधिदेश शामिल हैं;

"प्राधिकृत अधिकारी(गण)" का अर्थ होगा कॉर्पोरेट के साथ नियोजित ऐसे व्यक्ति जो कॉर्पोरेट द्वारा निर्देश(शों) प्रदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हैं और जिनके संबंध में कॉर्पोरेट ने बैंक द्वारा आवश्यक सभी विवरण बैंक को प्रस्तुत किए हैं;

"कार्डधारक" का अर्थ होगा कॉर्पोरेट का वह व्यक्तिगत कर्मचारी/सहयोगी/अधिकारी जिसे बैंक ने प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जारी किए हैं;

"**कार्ड एसोसिएशन**" का अर्थ होगा वीज़ा, मास्टरकार्ड, रुपे या कोई **अन्य** कार्ड एसोसिएशन जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है;

"**कॉर्पोरेट**" का अर्थ होगा वह इकाई और/या निगम निकाय जिसके कर्मचारियों/अधिकारियों/सहयोगियों को बैंक इन नियमों और शर्तों के अनुसार प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जारी करेगा;

"**कॉर्पोरेट डैशबोर्ड**" का अर्थ होगा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स और संबंधित सेवाओं के संबंध में वेब-आधारित इंटरफ़ेस जो बैंक द्वारा स्वयं या अपने सेवा प्रदाताओं/प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है,

जिसका एक्सेस बैंक द्वारा (सीधे या अपने सेवा प्रदाताओं के माध्यम से) कॉर्पोरेट को यहाँ उल्लिखित शर्तों के तहत प्रदान किया जाएगा;

"डेटा" का अर्थ होगा कॉर्पोरेट और/या कार्डधारक के संबंध में, जैसा भी मामला हो, सभी व्यक्तिगत डेटा, लेन-देन डेटा, व्युत्पन्न डेटा, कोई अन्य जानकारी, आदि, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं (पिछले उत्पादों के संबंध में सहित):

(a) अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) डेटा;
(b) किसी भी उत्पाद के लिए एचडीएफसी बैंक में कोई भी आवेदन या अनुरोध करते समय प्रस्तुत की गई जानकारी;
(c) संबंध के दौरान या किसी लेन-देन, खरीद, विवरण, प्रविष्टियों, लॉग के परिणामस्वरूप उत्पन्न कोई भी लेन-देन डेटा, इसके संबंध में;
(d) क्रेडिट जानकारी;
(e) एचडीएफसी बैंक द्वारा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त/प्राप्त कोई भी जानकारी;
(f) कोई भी व्युत्पन्न डेटा;

"**व्युत्पन्न डेटा**" का अर्थ होगा कोई भी क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट जानकारी, व्यवहारिक अनुमान, प्रोफाइलिंग, विश्लेषणात्मक परिणाम, रिपोर्ट (एचडीएफसी बैंक द्वारा आंतरिक रूप से या अन्य व्यक्तियों द्वारा तैयार) जिसमें किसी भी एल्गोरिथम, एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन, प्रोफाइलिंग आदि के माध्यम से शामिल है, और चाहे ऐसा व्युत्पन्न कॉर्पोरेट और/या कार्डधारक से एकत्र की गई जानकारी से हो, जैसा भी मामला हो, या किसी अन्य व्यक्ति, डेटाबेस या स्रोत से प्राप्त किसी अन्य जानकारी के संयोजन में हो, चाहे एचडीएफसी बैंक द्वारा या अन्य व्यक्तियों द्वारा। ऐसे व्युत्पन्न डेटा तक पहुंचने और उत्पन्न करने की प्रक्रिया, जिसमें उपरोक्त उप-प्रक्रियाओं/विधियों में से कोई भी शामिल हो या उसके माध्यम से हो, को "व्युत्पत्ति" कहा जाएगा;

"इलेक्ट्रॉनिक संचार" का वही अर्थ होगा जो इस शब्द को नीचे खंड 17.1 (इलेक्ट्रॉनिक संचार) में दिया गया है;

"**पूर्ण केवाईसी पीपीआई**" का अर्थ होगा ऐसा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्डधारक को जारी किया जा सकता है;

"**पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया**" का अर्थ होगा आरबीआई केवाईसी मास्टर दिशानिर्देश, पीपीआई मास्टर दिशानिर्देश, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, उसके तहत नियम, विनियम और परिपत्र, समय-समय पर, और जैसा कि संशोधित, प्रतिस्थापित, पुनः अधिनियमित, प्रतिस्थापित, परिवर्तित किया जा सकता है, को ध्यान में रखते हुए कार्डधारक के संबंध में पूर्ण 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) आवश्यकताओं का एचडीएफसी बैंक की संतुष्टि के अनुसार पूरा होने की प्रक्रिया, हालांकि इस संबंध में एचडीएफसी बैंक के अपने आंतरिक निर्धारणों के अधीन;

"**सरकारी प्राधिकरण**" का अर्थ होगा कोई भी सरकार, सरकार का विभाग, स्थानीय प्राधिकरण (जैसे निगम, नगरपालिका, पंचायत), मंत्रालय, आयोग, बोर्ड, एजेंसी, नियामक प्राधिकरण, साधन, न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक, या प्रशासनिक निकाय जिसके पास प्रश्नगत मामले या मामलों पर अधिकार क्षेत्र हो;

"**एचडीएफसी बैंक वेबसाइट**" www.hdfcbank.com, को संदर्भित करती है, जिसका स्वामित्व, संचालन और रखरखाव बैंक द्वारा किया जाता है;

"**निर्देश(शों)**" का अर्थ होगा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के संबंध में बैंक के किसी प्राधिकृत अधिकारी(गण) द्वारा दिया गया कोई भी निर्देश;

"**जॉइनिंग शुल्क**" का अर्थ होगा कार्डधारक को प्रत्येक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जारी करने के समय कॉर्पोरेट द्वारा बैंक को देय शुल्क;

"**व्यापारी**" का अर्थ होगा वे व्यापारी और प्रतिष्ठान जिनके लिए बैंक माल और/या सेवाओं की बिक्री के लिए भुगतान स्वीकार करने हेतु एक अधिग्रहणकर्ता के रूप में कार्य करता है;

"न्यूनतम विवरण" में वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) से सत्यापित एक मोबाइल नंबर और किसी भी 'अनिवार्य दस्तावेज़' या 'आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ (ओवीडी)' या आरबीआई केवाईसी मास्टर दिशानिर्देश में

इस उद्देश्य के लिए सूचीबद्ध किसी भी नाम वाले ऐसे किसी दस्तावेज़ के नाम और विशिष्ट पहचान / पहचान संख्या की स्व-घोषणा शामिल होगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो;

"**मोबाइल डिवाइस**" का अर्थ होगा एक मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें स्मार्टफोन शामिल हैं और जो वॉयस और डेटा एप्लिकेशन होस्ट करता/करते है/हैं;

"**पोर्टल**" का अर्थ होगा बैंक द्वारा स्वयं या अपने सेवा प्रदाता/प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के संबंध में प्रदान किया गया वेब पोर्टल और/या मोबाइल एप्लिकेशन, जिसका एक्सेस बैंक द्वारा (स्वयं या अपने सेवा प्रदाता के माध्यम से) कार्डधारकों को ऐसे वेब पोर्टल और/या मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग के नियमों और शर्तों की स्वीकृति के अधीन प्रदान किया जाएगा;

"**पीपीआई मास्टर दिशानिर्देश**" का अर्थ होगा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मास्टर दिशानिर्देश जिसका शीर्षक "प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट्स का निर्गम और परिचालन पर मास्टर दिशानिर्देश" दिनांक 27 अगस्त, 2021, संदर्भ संख्या RBI/DPSS/2021-22/82 CO.DPSS.POLC.No.S-479/02.14.006/2021-22 है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित, प्रतिस्थापित और/या पुनः कथित किया जा सकता है और किसी अन्य संबंधित परिपत्रों का संदर्भ;

"प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट(इंस्ट्रूमेंट्स)" या "पीपीआई" का अर्थ होगा बैंक द्वारा जारी 'प्रीपेड भुगतान लिखत' और इसका वही अर्थ होगा जो इस शब्द को पीपीआई मास्टर दिशानिर्देश में दिया गया है, और बैंक द्वारा जारी इसके वेरिएंट और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के प्रत्येक वेरिएंट की विशेषताएं, जैसा कि वर्तमान में बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है, जैसा कि अनुसूची । में निर्धारित है। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट भौतिक या डिजिटल कार्ड के रूप में जारी किए जा सकते हैं, जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है;

"**प्रोसेसिंग**" का अर्थ होगा डेटा पर किया गया कोई भी ऑपरेशन या ऑपरेशनों का सेट, और इसमें संग्रह, रिकॉर्डिंग, प्रतिलिपि बनाना, उपयोग करना, प्रोफाइलिंग, संगठन, संरचना, भंडारण, अनुकूलन, पुनरुत्पादन, पुनर्प्राप्ति, उपयोग, संरेखण या संयोजन, अनुक्रमण, साझा करना, प्रसारण द्वारा प्रकटीकरण, प्रसार या अन्यथा उपलब्ध कराना, प्रतिबंध, मिटाना या नष्ट करना जैसे ऑपरेशन शामिल हैं और "**प्रोसेस**" और "**प्रोसेस्ड**" शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

"**प्रोसेसिंग इकाई**" का अर्थ होगा कोई भी क्रेडिट सूचना कंपनी (याँ), ब्यूरो, स्विच, नेटवर्क, कार्ड एसोसिएशन, वित्तीय संस्थान, निपटान, हस्तांतरण और प्रसंस्करण मध्यस्थ, भुगतान एग्रीगेटर, भुगतान गेटवे, भुगतान प्रणाली, सेवा प्रदाता, सलाहकार, वेंडर, एजेंट, तृतीय-पक्ष उप-ठेकेदार, फिनटेक इकाई (याँ), सह-ब्रांड इकाई (याँ)/भागीदार, वितरक, बिक्री/विपणन एजेंट, व्यापारी, कोई भी भागीदार, सहयोगी, सह-ऋणदाता, सह-प्रवर्तक, व्यापारी, एग्रीगेटर, लीड जनरेटर, सोर्सिंग इकाई (याँ), क्लाइंट, ग्राहक या अन्य व्यक्ति जिनके साथ बैंक का किसी भी उत्पाद या सेवाओं के लिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यवस्था या गठजोड़ या अनुबंध है, कोई भी शाखा, मूल/सहायक कंपनी, संबद्ध, समूह कंपनियाँ और बैंक के सहयोगी, सरकारी प्राधिकरण, जांच एजेंसियां, कोई भी टीपीएपी (जिनके लिए बैंक पीएसपी बैंक के रूप में कार्य करता है), या किसी भी इकोसिस्टम के अन्य संबंधित खिलाड़ी/मध्यस्थ जिसका बैंक एक हिस्सा है, और ऐसी प्रोसेसिंग इकाइयों के सेवा प्रदाता, सलाहकार, वेंडर, आदि;

"**उत्पाद**(**उत्पादों**)" का अर्थ होगा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और वॉलेट और/या उनसे संबंधित सेवाएँ, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या कार्डधारक किसी गैर-व्यक्तिगत आवेदक/ग्राहक/किसी भी सेवा के उपयोगकर्ता का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या अधिकृत व्यक्ति या प्रतिनिधि है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, चाहे ऐसा कोई उत्पाद स्वयं बैंक का हो या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से हो या जहाँ एचडीएफसी बैंक उत्पादों या अन्य व्यक्तियों के किसी अन्य उत्पाद और/या सेवाओं के लिए वितरक हो या रेफरल, एजेंसी या किसी अन्य व्यवस्था के तहत हो। वे उत्पाद, जिनके लिए कार्डधारक द्वारा आवेदन/अनुरोध किया गया है या लाभ उठाया गया है (जिसमें किसी लेन-देन की शुरुआत सीधे एचडीएफसी बैंक के साथ न होकर किसी प्रासंगिक प्रोसेसिंग इकाई के साथ होती है), को "**अनुरोधित उत्पाद**" कहा जाएगा;

"**आरबीआई**" का अर्थ होगा भारतीय रिज़र्व बैंक;

"**आरबीआई केवाईसी मास्टर दिशानिर्देश**" का अर्थ होगा आरबीआई का मास्टर दिशानिर्देश - अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) दिशानिर्देश, संख्या DBR.AML.BC.No.81/14.01.001/2015-16 दिनांक 25 फरवरी, 2016 जैसा कि समय-समय पर संशोधित, प्रतिस्थापित, पुनः अधिनियमित, प्रतिस्थापित, पूरक, परिवर्तित किया जा सकता है;

"**आरबीआई विनियम**" का अर्थ होगा आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश, परिपत्र, अधिसूचनाएं, निर्देश, मास्टर दिशानिर्देश, जैसा कि समय-समय पर संशोधित, प्रतिस्थापित, पुनः अधिनियमित, प्रतिस्थापित, परिवर्तित किया जा सकता है;

"**सेवाएँ**" का अर्थ होगा बैंक द्वारा कार्डधारकों को संबंधित सीमाओं के अधीन निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएँ: (क) प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के संबंध में सेवाएँ, जिसमें पीपीआई मास्टर दिशानिर्देश और इन नियमों और शर्तों के अनुसार प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पर संग्रहित मूल्य जोड़ना, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से ऐसे बैंक खातों और/या ऐसे अन्य पीपीआई में संग्रहित मूल्य/धनराशि हस्तांतरित करना शामिल है जैसा कि पीपीआई मास्टर दिशानिर्देश और इन नियमों और शर्तों के तहत अनुमत हो सकता है, इंटरऑपरेबिलिटी, जो बैंक द्वारा सुविधा सक्षम किए जाने पर लागू होगी, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को अन्य भुगतान प्रणालियों के साथ संयोजन में उपयोग करने में सक्षम बनाना, जैसा कि एचडीएफसी बैंक द्वारा अपने विवेक पर सक्षम किया जा सकता है, (ख) इन नियमों और शर्तों में शामिल अन्य विशेषताएँ, कार्यक्षमताएँ, सेवाएँ, (ग) एचडीएफसी बैंक के विवेक पर कोई अन्य सेवाएँ जैसा कि समय-समय पर सक्षम किया जा सकता है, (घ) बैंक द्वारा स्वयं या किसी तृतीय-पक्ष वेंडर/सेवा प्रदाताओं के माध्यम से प्रदान की जाने वाली कोई अन्य मूल्य वर्धित सेवा(एँ) ("**वीएएस**"), जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत किया जा सकता है;

"**सेवा प्रदाता(गण)**" का अर्थ होगा कार्डधारकों और/या कॉर्पोरेट को कार्डधारकों और/या कॉर्पोरेट के साथ अलग और स्वतंत्र अनुबंधों के तहत वीएएस प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा नियुक्त कोई भी तृतीय-पक्ष वेंडर या सेवा प्रदाता;

"**निर्दिष्ट उद्देश्य**" का सामूहिक रूप से अर्थ होगा, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम विश्लेषण, पोर्टफोलियो संवेदनशीलता विश्लेषण, धोखाधड़ी जांच, धोखाधड़ी का पता लगाना, धोखाधड़ी की रोकथाम, अपराध का पता लगाना और रोकथाम करना जिसमें अपराध/आतंक वित्तपोषण शामिल है, कदाचार या विसंगत दस्तावेज़ों या जानकारी का पता लगाना, दुरुपयोग की रोकथाम, पात्रता का मूल्यांकन, वित्तीय स्थिति, ड्यू डिलिजेंस, पृष्ठभूमि जांच, भौतिक और अन्य निरीक्षण, सत्यापन, उपरोक्त में से किसी के लिए कोई भी रिपोर्ट प्राप्त करना, केवाईसी/एएमएल जांच, ग्राहक सेवा, निगरानी, कोई भी कानूनी कार्यवाही, कार्रवाइयाँ, पूछताछ, जांच, कोई भी उपचार प्राप्त करना, अधिकारों को लागू करना, रिपोर्टिंग जिसमें क्रेडिट रिपोर्टिंग, केवाईसी रिपोर्टिंग, फाइलिंग, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, सोशल मीडिया बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, कोई अन्य डिजिटल आधारित बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करना, कोई भी डेबिट और/या अन्य कार्ड जारी करना, विभिन्न मध्यस्थों, स्विच, नेटवर्क, कार्ड एसोसिएशनों, निपटान, हस्तांतरण और प्रसंस्करण मध्यस्थों के साथ डेटा साझा करना, लॉयल्टी कार्यक्रमों का प्रबंधन करने वाली इकाइयों के साथ डेटा साझा करना, किसी भी ऑफ़र, डिस्काउंट, कैशबैक, चार्जबैक, फ़ीचर्स का प्रबंधन, उत्पन्न करना और/या लागू करना, व्यापारियों, भुगतान एग्रीगेटरों, भुगतान गेटवे, भुगतान प्रणालियों के साथ गठजोड़, किसी भी कानूनी और/या विनियामक दायित्वों का प्रदर्शन, फाइलिंग, रिपोर्टिंग, आदि, चाहे इनमें से कोई भी आंतरिक रूप से या किसी प्रोसेसिंग इकाई के माध्यम से किया गया हो;

"**स्मॉल पीपीआई**" का अर्थ होगा ऐसा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो कार्डधारक का न्यूनतम विवरण प्राप्त करने के बाद कार्डधारक को जारी किया जा सकता है;

"**टैक्स**" का अर्थ होगा सभी कर, सेस, सरचार्ज, ड्यूटी, इम्पोस्ट, स्टाम्प शुल्क, रेट, किसी भी क्षेत्राधिकार में किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा लगाए गए/एकत्र किए गए/को देय कोई भी समान लेवी (कोई भी या सभी, जैसा कि लागू हो सकता है और/या अभी या भविष्य में देय हो, और चाहे अभी या भविष्य में मौजूद हो), ब्याज, पेनाल्टी और किसी भी पूर्वोक्त के संबंध में कोई अन्य दायित्व जिसमें किसी भी पिछली देनदारियों और दायित्वों के लिए शामिल है, और इसमें बिना किसी सीमा के सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, सभी प्रकार के माल और सेवा कर, टोल टैक्स, नगरपालिका, स्थानीय, सड़क परिवहन कर, आदि शामिल होंगे;

"**ट्रांजेक्शन**" का अर्थ होगा प्रीपेड लिखतों या अन्य स्रोत या तरीकों का उपयोग करके सेवाओं का उपयोग करके किया गया कोई भी फंड ट्रांसफर या खरीद लेन-देन।

1.2. इन नियमों और शर्तों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(a) एकवचन में बहुवचन शामिल है, और इसके विपरीत और किसी भी लिंग के शब्द अन्य लिंगों को शामिल माने जाएंगे;

(b) शब्द "यहाँ", "इसमें", "इसके द्वारा", "इसको" और व्युत्पन्न या समान शब्द इन संपूर्ण

नियमों और शर्तों को संदर्भित करते हैं;

(c) शब्द "शामिल करें" या "सहित" के संदर्भों का अर्थ बिना किसी सीमा के लगाया जाएगा;

(d) किसी भी खंड का संदर्भ का अर्थ इन नियमों और शर्तों का एक खंड है;

(e) शीर्षक और बोल्ड टाइपफेस का उपयोग केवल सुविधा के लिए किया गया है और यह इन नियमों और शर्तों की व्याख्या को प्रभावित नहीं करेगा।

2. प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स लिखतों के लिए आवेदन और उनका निर्गम

2.1. कॉर्पोरेट के अनुरोध के आधार पर, और इस नियम और शर्तें दस्तावेज़ में निहित कॉर्पोरेट के अभ्यावेदनों, वारंटियों, प्रसंविदाओं और वचनबद्धताओं पर भरोसा करते हुए, बैंक कार्डधारक को सेवाएँ प्रदान करने के लिए सहमत है, जिसमें कार्डधारक के लिए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ निहित तरीके से और नियमों और शर्तों पर बनाना और सौंपना शामिल है। कॉर्पोरेट बैंक द्वारा जारी किए जा रहे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के किसी भी वेरिएंट के निर्गम के लिए आवेदन करना चुन सकता है और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के प्रत्येक वेरिएंट की विशेषताएं, जैसा कि वर्तमान में बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है, इसके साथ संलग्न अनुसूची I में निर्धारित हैं। ये शर्तें शुरुआत में मूल रूप से आवेदन के समय कॉर्पोरेट द्वारा चयनित प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के वेरिएंट पर लागू होंगी। बशर्ते कि कॉर्पोरेट इस तिथि के बाद, समय-समय पर, बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से किसी भी अन्य वेरिएंट के निर्गम के लिए आवेदन कर सकता है और यदि ऐसा आवेदन बैंक द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो ये शर्तें किसी भी अतिरिक्त कार्य, विलेख या चीज़ के बिना स्वचालित रूप से कॉर्पोरेट को जारी किए गए ऐसे वेरिएंट पर भी लागू होंगी।

2.2. एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि ये नियम और शर्तें प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के सभी विभिन्न वेरिएंट पर लागू होने वाली शर्तों को कवर करती हैं और उनमें शामिल हैं, जब तक कॉर्पोरेट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के किसी विशेष वेरिएंट का लाभ नहीं उठा रहा है और बैंक ने उसे जारी नहीं किया है, तब तक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के ऐसे वेरिएंट पर विशेष रूप से लागू इन नियमों और शर्तों के प्रावधान कॉर्पोरेट पर लागू नहीं होंगे।

2.3. कॉर्पोरेट स्वीकार करता है और सहमत है कि वह बैंक को वे सभी दस्तावेज़ प्रदान करेगा और बैंक को उनका प्रावधान सुनिश्चित करेगा जिनकी बैंक को पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया संचालित करने के लिए आवश्यकता हो सकती है, साथ ही प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के निर्गम के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित सभी आवेदन, अनुरोध पत्र और कोई अन्य दस्तावेज़ (चाहे कॉर्पोरेट या कार्डधारक स्तर पर) प्राप्त करेगा।

2.4. कॉर्पोरेट स्वीकार करता है कि प्रत्येक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का निर्गम बैंक का एकमात्र विशेषाधिकार होगा और इन नियमों और शर्तों में निहित किसी भी बात को बैंक को किसी भी व्यक्ति को एक या अधिक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए बाध्य करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

2.5. बैंक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसे रूप में यानी वर्चुअल या भौतिक रूप में जारी करने का हकदार होगा जैसा वह (अपने एकमात्र विवेक पर) निर्धारित कर सकता है।

2.6. बैंक, अपने एकमात्र विवेक पर और ऐसी शर्तों और निबंधनों की पूर्ति और ऐसी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन, जो बैंक समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है, संबंधित प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जारी कर सकता है। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स बैंक द्वारा संबंधित कार्डधारक को या प्राधिकृत अधिकारी(गण) को वितरित किए जाएंगे, जो इसे संबंधित कार्डधारक को वितरित करने के लिए जिम्मेदार होगा। यदि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट(इंस्ट्रूमेंट्स) को बैंक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को वितरित किया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और उसे तुरंत कार्डधारक को वितरित करेगा और बैंक ऐसे मामले में कार्डधारक को प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के किसी भी गैर-वितरण या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की किसी भी हानि/चोरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इस खंड 2 (प्रीपेड लिखतों के लिए आवेदन और उनका निर्गम) में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, बैंक को अपने एकमात्र विवेक पर, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के वितरण के तरीके और ढंग को संशोधित करने का अधिकार होगा।

2.7. कॉर्पोरेट अपने नए कर्मचारियों को केवल बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार ही नए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए आवेदन करने के लिए सूचित करेगा।

3. लोडिंग और रीलोडिंग प्रक्रिया

3.1. कॉर्पोरेट एतद्द्वारा सहमत है और स्वीकार करता है कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, उनके निर्गम की तिथि के अनुसार, कोई निर्दिष्ट मूल्य नहीं रखेंगे और एक निष्क्रिय रूप में होंगे। ऐसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स पर मूल्य लोड करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी, या ऐसे अन्य माध्यमों से और ऐसे अन्य तरीके से होगी जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमति दी जा सकती है:

(a) किसी भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट(इंस्ट्रूमेंट्स) के संबंध में मूल्य की लोडिंग/रीलोडिंग के लिए, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट डैशबोर्ड के माध्यम से निर्देश प्रदान करेगा, जिसमें प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट संख्या और वह मूल्य निर्धारित होगा जो ऐसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स पर लोड/रीलोड किया जाना है; या

(b) किसी भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट(इंस्ट्रूमेंट्स) के संबंध में मूल्य की लोडिंग/रीलोडिंग के लिए, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट डैशबोर्ड के माध्यम से धन हस्तांतरित करेगा और निर्देश प्रदान करेगा जिसमें प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट संख्या और वह मूल्य निर्धारित होगा जो ऐसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स पर लोड/रीलोड किया जाना है।

3.2. ऊपर खंड 3.1 (लोडिंग और रीलोडिंग प्रक्रिया) में निर्धारित तरीके से निर्देशों के प्रावधान के साथ-साथ, कॉर्पोरेट निर्देशों के अनुसार प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स पर लोड/रीलोड की जाने वाली राशि का भुगतान बैंक को निम्नलिखित विकल्पों में से किसी का उपयोग करके करेगा:
(क) कॉर्पोरेट द्वारा बैंक के साथ रखे गए बैंक खाते के संबंध में डेबिट प्राधिकरण पत्र के प्रावधान द्वारा डेबिट निर्देश; (ख) कॉर्पोरेट द्वारा बैंक के साथ रखे गए किसी भी खाते पर आहरित चेक या बैंक के पक्ष में अपेक्षित मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट, जो मुंबई या ऐसे अन्य स्थान पर देय हो जैसा कि बैंक अपने एकमात्र विवेक पर आवश्यक समझे; (ग) किसी अन्य बैंक का भारतीय रुपये (आईएनआर) का चेक जो "एचडीएफसी बैंक लिमिटेड" को देय हो; (घ) बैंक के नामित खाते में इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण, जिसका विवरण बैंक द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाएगा; (ङ) लिंक्ड कार्ड द्वारा, अन्य क्रेडिट और डेबिट कार्ड द्वारा; या (च) ऐसे अन्य माध्यमों से और ऐसे अन्य तरीके से जैसा कि संबंधित आरबीआई विनियमों के तहत आरबीआई द्वारा और बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की इलेक्ट्रॉनिक लोडिंग / रीलोडिंग भारत में विनियमित संस्थाओं द्वारा जारी किए गए उपरोक्त भुगतान साधनों के माध्यम से ही होनी चाहिए।

3.3. प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को केवल भारतीय रुपए में ही लोड / रीलोड करने की अनुमति दी जाएगी।

3.4. कॉर्पोरेट एतद्द्वारा स्वीकार करता है और सहमत है कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट नकदी के माध्यम से लोड/री-लोड करने योग्य नहीं होंगे।

3.5. प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का एक्टिवेशन और प्रीपेड लिखतों की लोडिंग/रीलोडिंग कॉर्पोरेट द्वारा केवल तब प्रोसेस की जाएगी जब (क) बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कॉर्पोरेट डैशबोर्ड के माध्यम से निर्देश प्राप्त हों; और (ख) कॉर्पोरेट ऊपर खंड 3.2 (लोडिंग और रीलोडिंग प्रक्रिया) के अनुसार, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स पर लोड/रीलोड किए जाने वाले मूल्य के बराबर राशि का भुगतान बैंक को कर दे।

4. प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग

4.1. कॉर्पोरेट एतद्द्वारा क्रमशः स्वीकार करता है और सहमत है कि:

(a) प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग कार्डधारकों द्वारा लागू कानून और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में किया जाएगा;

(b) यदि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स वर्चुअल कार्ड के रूप में जारी किए जाते हैं, तो उनका उपयोग केवल कार्ड-नॉट-प्रेजेंट (सीएनपी)/इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लेनदेन (ईकॉम) तक ही सीमित रहेगा;

(c) कार्डधारक एकमात्र अधिकृत व्यक्ति है जो अपने नाम वाला प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट उपयोग कर सकता है; या जिसके लिए विवरण बैंक के सिस्टम में कैप्चर किए गए हैं; और

(d) प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बैंक की संपत्ति है और यह अहस्तांतरणीय है।

4.2. प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का उपयोग बैंक के इन नियमों और शर्तों और

उन सभी नीतियों, दिशानिर्देशों और निर्देशों द्वारा शासित होगा जिन्हें बैंक समय-समय पर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पर लागू करता है, जिसमें कार्ड सदस्य समझौते/कार्डधारक नियमों और शर्तों में निर्धारित नियम और शर्तें शामिल हैं।

4.3. भौतिक कार्ड के रूप में जारी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बैंक द्वारा कार्डधारक को या तो सीधे या प्राधिकृत अधिकारी(गण) को वितरण के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। यदि प्रीपैड इंस्ट्रूमेंट्स वर्चुअल कार्ड के रूप में जारी किए जाते हैं, तो कार्ड विवरण बैंक द्वारा कार्डधारक(कों) को उनके संबंधित ई-मेल पते पर वितरित किए जाएंगे जैसा कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जारी करने के लिए बैंक को किए गए आवेदन में निर्धारित है। यदि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कॉर्पोरेट/कार्डधारक के डाक पते पर डिलीवरी के बाद प्राधिकृत अधिकारी(गण)/संबंधित कार्डधारक(कों) तक नहीं पहुंचता है, तो सभी परिणामी हानियां, क्षतियां या लागतें पूरी तरह से कॉर्पोरेट के खाते में होंगी।

4.4. कॉर्पोरेट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के उपयोग के संबंध में या अन्यथा कार्डधारक और कॉर्पोरेट के बीच किसी भी विवाद का निपटारा करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा, जिसमें बिना किसी सीमा के प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पर उपलब्ध शेष राशि के संबंध में विवाद शामिल हैं, और बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा और/या ऐसे किसी भी विवाद का संज्ञान लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे किसी भी विवाद का अस्तित्व, किसी भी तरह से, इन नियमों और शर्तों के तहत कॉर्पोरेट के दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

4.5. इन नियमों और शर्तों या किसी अन्य दस्तावेज़ में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, कॉर्पोरेट सहमत है और स्वीकार करता है कि यदि किसी भी ट्रांजेक्शन के प्रमाणीकरण के लिए कार्डधारक को भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या पिन के इनपुट द्वारा कोई निर्देश प्रभावी होते हैं, जैसा भी मामला हो, तो ऐसा ट्रांजेक्शन कार्डधारक द्वारा किया गया माना जाएगा और ऐसे ट्रांजेक्शनों की प्रोसेसिंग के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली सभी हानियां कॉर्पोरेट के खाते में होंगी, और बैंक ऐसी हानियों के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा। बैंक इस संबंध में किसी भी तरह से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा और पूरी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व कॉर्पोरेट/कार्डधारक का होगा।

4.6. प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के खोने/चोरी होने पर, कॉर्पोरेट यह सुनिश्चित करेगा कि कार्डधारक बैंक को तत्काल सूचित करे और बैंक को वे सभी प्रकैटीकरण और अन्य जानकारी प्रस्तुत करे जिनकी बैंक को आवश्यकता हो सकती है। कॉर्पोरेट एतद्द्वारा सहमत है और स्वीकार करता है कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को बैंक द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने के बाद (चाहे लिखित सूचना के माध्यम से, या ऐसे तरीकों और ऐसे ढंग से जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है) या ऐसी सूचना प्राप्त होने के 24 (चौबीस) घंटों के भीतर हॉटलिस्ट किया जाएगा, बशर्ते कि, ऐसी अधिसूचना प्राप्त होने तक, बैंक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पर किए गए किसी भी लेनदेन के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा और ऐसे लेनदेन को ब्लॉक या रद्द नहीं कर पाएगा। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पर किए गए लेनदेन की रिपोर्टिंग के समय या खोए/चोरी हुए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के संबंध में किसी अन्य मामले से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में, बैंक का निर्धारण कार्डधारक और कॉर्पोरेट पर निर्णायक और बाध्यकारी होगा।

4.7. कॉर्पोरेट सहमत है और स्वीकार करता है कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके माल और/या सेवाओं की खरीद के संबंध में उत्पन्न होने वाली धोखाधड़ी या किसी भी दायित्व से संबंधित कोई भी दावा बैंक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। कॉर्पोरेट द्वारा प्रतिस्थापन कार्ड जारी करने के लिए ऐसा अनुरोध किए जाने पर, बैंक, अपने एकमात्र विवेक पर, उन नियमों और शर्तों पर एक प्रतिस्थापन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जारी कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

4.8. जब कार्ड का बैलेंस नकारात्मक हो जाता है तो बैंक कॉर्पोरेट को सूचित करेगा। बैंक उक्त नकारात्मक शेष राशि पर लागू ब्याज दर पर ब्याज लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है जब तक कि ऐसी नकारात्मक शेष राशि का भुगतान लागू ब्याज के साथ पूरा नहीं कर दिया जाता, और कॉर्पोरेट एतद्द्वारा उक्त ब्याज वहन करने के लिए सहमत है। कॉर्पोरेट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स पर बकाया ऐसी कोई भी नकारात्मक शेष राशि का भुगतान उस पर लागू ब्याज के साथ बैंक द्वारा ऐसे किसी भी भुगतान अनुरोध को शुरू करने की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर करेगा। अनुरोध बैंक द्वारा कॉर्पोरेट के पंजीकृत ईमेल पते (कॉर्पोरेट एडमिन) पर किया जा सकता है। यदि वही उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो बैंक अनुरोध की सूचना की तारीख से 30 (तीस) दिनों के बाद कॉर्पोरेट के खाते से नकारात्मक शेष राशि के बराबर राशि और उस पर लागू ब्याज को कॉर्पोरेट पूल खाते से डेबिट करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। ऐसी स्थिति में जहाँ कॉर्पोरेट पूल खाते में धनराशि जमा नहीं की जाती है,

तो बैंक कॉर्पोरेट को संबंधित खाते में धनराशि रखने के लिए सूचित करेगा। यदि कॉर्पोरेट उक्त खाते में धनराशि जमा नहीं करता है, तो इसके खंड 9.3 के प्रावधान लागू होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड 4.8 (प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग) में कुछ भी बैंक को प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स पर उस पर लोड किए गए मूल्य से अधिक के लेनदेन की अनुमति देने के लिए बाध्य या अन्यथा आवश्यक नहीं बनाएगा। कॉर्पोरेट स्वीकार करता है और सहमत है कि बैंक किसी भी ऐसे ट्रांजेक्शन को अस्वीकार करने का हकदार होगा जिसे ऐसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पर प्रभावी करने का प्रयास किया जाता है जहाँ ऐसे ट्रांजेक्शन की राशि उस प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पर लोड किए गए मूल्य से अधिक हो जाती है।

4.9. प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की वैधता अवधि की समाप्ति पर, बैंक ऐसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पर अनुपयुक्त राशि को एक नए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में, यदि कोई हो, जो बैंक द्वारा कार्डधारक को जारी किया जा रहा है, हस्तांतरित कर सकता है। बशर्ते कि ऐसा हस्तांतरण लागू कानून और बैंक की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अधीन तरीके से प्रभावी किया जाएगा।

4.10. कॉर्पोरेट स्वीकार करता है और सहमत है कि बैंक, समय-समय पर, अपनी आंतरिक नीति के अनुसार, किसी विशेष दिन या अन्य आवृत्ति में प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के उपयोग से प्रभावी किए जा सकने वाले ट्रांजेक्शनों की राशि पर मौद्रिक सीमाएं/लिमिट निर्धारित कर सकता है। कॉर्पोरेट स्वीकार करता है और सहमत है कि बैंक एक बार ऐसी कोई भी सीमा पार हो जाने पर किसी भी लेनदेन को प्रोसेस करने से इनकार करने का हकदार होगा, भले ही ऐसी सीमाएं पहले कॉर्पोरेट/कार्डधारक को सूचित की गई हों या नहीं।

4.11. कार्डधारक लाभार्थियों को ऐसे विवरण प्रदान करके पंजीकृत भी कर सकता है जिनकी बैंक को समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है और लागू कानून और बैंक की आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं के अधीन, पोर्टल या ऐसे अन्य तरीके से जैसा कि बैंक समय-समय पर निर्धारित कर सकता है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट (प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के गिफ्ट कार्ड वेरिएंट के अलावा) पर अपनी स्वयं की फंड ट्रांसफर सीमाएं (इंस्ट्रूमेंट के लिए, पीपीआई मास्टर दिशानिर्देशों द्वारा अनुमत सीमाओं के भीतर) निर्धारित कर सकता है। कार्डधारकों के पास एचडीएफसी बैंक वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से प्रभावी किसी भी लेनदेन के लिए अपने प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स पर सीमाएं निर्धारित करके अपने व्यय को नियंत्रित करने का विकल्प होगा। कार्डधारकों के पास एचडीएफसी बैंक द्वारा अनुमति प्राप्त किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन को सक्षम या अक्षम करने का विकल्प भी होगा।

4.12. किसी भी लागू कानून के अनुसार, समय-समय पर, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स या ट्रांजेक्शनों पर लागू किसी भी सीमा के मामले में, उदाहरण के लिए बकाया राशि, बैंक कार्डधारक के संबंध में बकाया हो सकने वाले बैंक के सभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स में संचयी मूल्यों पर विचार करते हुए ऐसी सीमाओं की गणना करने का हकदार होगा, चाहे अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से।

4.13. बैंक एतद्द्वारा कॉर्पोरेट और/या कार्डधारकों को, जैसा भी मामला हो, कार्डधारक को जारी किए गए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स और ऐसे कार्डों पर किए गए ट्रांजेक्शनों का विवरण देखने के लिए पोर्टल/ कॉर्पोरेट डैशबोर्ड का एक्सेस प्रदान करने के लिए सहमत है। कॉर्पोरेट सहमत है और स्वीकार करता है कि पोर्टल और कॉर्पोरेट डैशबोर्ड बैंक का है और कॉर्पोरेट यह सुनिश्चित करेगा कि कार्डधारक इसका दुरुपयोग न करे या इसका उपयोग उन उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए न करे जो बैंक द्वारा अनुमत हैं और/या किसी तीसरे पक्ष को इसका उपयोग करने की अनुमति न दे।

4.14. कॉर्पोरेट एतद्द्वारा स्वीकार करता है और सहमत है कि पोर्टल का एक्सेस बैंक द्वारा कार्डधारकों को प्रदान किया जा रहा है और यह ऐसे नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा जैसा कि बैंक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। कॉर्पोरेट एतद्द्वारा सहमत है और वचन देता है कि बैंक पोर्टल के एक्सेस के प्रावधान और/या इसके निर्बाध या त्रुटि रहित प्रदान किए जाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और न ही इसके लिए कोई प्रतिबद्धता करता है। इसके अतिरिक्त, बैंक पोर्टल के संबंध में किसी भी तरह से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें बिना किसी सीमा के पोर्टल से जुड़े कोई भी जोखिम या लागत, उसमें प्रदर्शित डेटा की अशुद्धि/उससे डेटा की हानि, कार्डधारक द्वारा पोर्टल के उपयोग के परिणामस्वरूप होने वाली हानियां या क्षतियां शामिल हैं।

4.15. कॉर्पोरेट पुष्टि करता है कि बैंक एतद्द्वारा कॉर्पोरेट को कॉर्पोरेट डैशबोर्ड का एक्सेस प्रदान करने के लिए सहमत है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ कार्डधारकों द्वारा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करके किए गए खर्चों की रिपोर्ट और एनालिटिक्स तक पहुँचा जा सके। कॉर्पोरेट सहमत है और स्वीकार करता है कि कॉर्पोरेट डैशबोर्ड बैंक का है और कॉर्पोरेट इसका दुरुपयोग नहीं करेगा या इसका उपयोग उन उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा जो

बैंक द्वारा अनुमत हैं और/या किसी तीसरे पक्ष को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

4.16. कार्डधारक एतद्द्वारा सहमत है कि वह हर समय अपने खाते, केवाईसी विवरण और संपर्क जानकारी को पूर्ण और अद्यतित रखेगा।

4.17. '1 जुलाई 2020 से प्रभावी नकद निकासी पर टीडीएस नियम' की जानकारी के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट पर जाएँ – https://www.hdfcbank.com/personal/useful-links/important-messages

4.18. पूर्ण केवाईसी पीपीआई के लिए, इस वित्तीय वर्ष की नकद निकासी सीमा 1 अप्रैल 2020 से मानी जाएगी।

4.19. एचडीएफसी बैंक पीपीआई मास्टर दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं या अपने सेवा प्रदाताओं या एजेंटों के माध्यम से कार्डधारकों को ट्रांजेक्शनों के लिए अलर्ट भेजने के लिए एक तंत्र लागू कर सकता है। कार्डधारक स्वीकार करता है कि कार्डधारक एचडीएफसी बैंक द्वारा (स्वयं या अपने सेवा प्रदाताओं या एजेंटों के माध्यम से) एसएमएस, नोटिफिकेशन और ई-मेल या एचडीएफसी बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य चैनल के माध्यम से भेजे गए अलर्ट और अन्य संचार प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान कर रहा है।

4.20. कार्डधारक एतद्द्वारा सहमत है और स्वीकार करता है कि एचडीएफसी बैंक अलर्ट भेजने या कार्डधारक या नामितों या संपत्ति के साथ संवाद करने के लिए तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं का उपयोग कर सकता है। कार्डधारक एतद्द्वारा एचडीएफसी बैंक को कॉल, एसएमएस, ईमेल और संचार के किसी अन्य माध्यम से कार्डधारक से संपर्क करने के लिए डू नॉट कॉल/ डीएनडी वरीयता/सेटिंग्स या किसी भी समान पंजीकरण को ओवरराइड करने के लिए अधिकृत करता है।

4.21. कार्डधारक सहमत है और स्वीकार करता है कि व्यापारी के साथ किसी भी विवाद/ प्रश्न/ निवारण/ शिकायत के मामले में बैंक उत्तरदायी नहीं होगा, और कार्डधारक को केवल संबंधित व्यापारी/सेवा प्रदाता के साथ ही चिंता/मामला उठाना होगा। यदि कार्डधारक बैंक द्वारा प्रदान नहीं की गई किसी वीएएस सहित किसी तीसरे पक्ष की सेवाओं का लाभ उठाता है, तो बैंक ऐसी सेवाओं के लिए जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा और ऐसे तीसरे पक्ष के साथ किसी भी विवाद या शिकायत के मामले में भी जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा।

4.22. कॉर्पोरेट और/या कार्डधारक एतद्द्वारा सहमत हैं कि वीएएस का प्रावधान सेवा प्रदाताओं की एक स्वतंत्र पेशकश है, और यदि कॉर्पोरेट और/या कार्डधारक इसका लाभ उठाना चुनते हैं, तो यह कॉर्पोरेट और/या कार्डधारक और सेवा प्रदाता के बीच का मामला होगा, और बैंक किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी या इससे अवगत नहीं होगा। कॉर्पोरेट और/या कार्डधारक एतद्द्वारा सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि वीएएस या उसके किसी भाग का लाभ उठाकर और/या उपयोग करके, कॉर्पोरेट और/या कार्डधारक को सेवा प्रदाता के साथ इसके लिए एक सीधा अनुबंध में प्रवेश किया हुआ माना जाएगा और सेवा प्रदाता के ऐसे नियमों और शर्तों, उपयोग की शर्तों, गोपनीयता नीतियों आदि को स्वीकार किया हुआ माना जाएगा। कॉर्पोरेट और/या कार्डधारक एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं और स्वीकार करते हैं कि ऐसा अनुबंध कॉर्पोरेट और/या कार्डधारक और सेवा प्रदाता के बीच एक स्वतंत्र संविदात्मक संबंध होगा, और बैंक किसी भी तरह से इस अनुबंध से अवगत नहीं होगा।

4.23. कॉर्पोरेट और/या कार्डधारक एतद्द्वारा सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि वीएएस के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले प्रदर्शन, वारंटी, गारंटी, सर्विसिंग, शिकायतें, गैर-डिलीवरी, गुणवत्ता, सेवा/उत्पाद स्तर के मुद्दों और/या सेवा प्रदाता के साथ विवादों और/या सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी धोखाधड़ी या गलत बयानी के संबंध में बैंक का कॉर्पोरेट और/या कार्डधारक के प्रति किसी भी स्थिति में कोई दायित्व नहीं होगा। कॉर्पोरेट और/या कार्डधारक एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं और वचन देते हैं कि वे बैंक के खिलाफ कोई दावा और/या मांग नहीं करेंगे, किसी भी विवाद, कार्यवाही, या किसी अन्य कार्रवाई के मामले में बैंक को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं करेंगे, बैंक को नोटिस नहीं भेजेंगे, या वीएएस से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी तरह से बैंक को शामिल नहीं करेंगे।

4.24. कार्डधारक एतद्द्वारा सहमत है और स्वीकार करता है कि किसी भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके किए गए सभी ट्रांजेक्शन कार्ड एसोसिएशनों और बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होंगे।

4.25. कॉर्पोरेट यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि कार्डधारक इन नियमों और शर्तों का अनुपालन करता है।

4.26. कार्डधारक यह भी पुष्टि करता है कि कार्डधारक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का उपयोग (जिसमें शामिल किसी भी व्यवसाय को कोई भुगतान करना शामिल है) (क) किसी भी अवैध या अनैतिक या

असामाजिक गतिविधि, (ख) जुआ, (ग) वयस्क साइटें, (घ) ऑनलाइन गेमिंग, (ङ) निषिद्ध सेवाएँ, (च) सट्टेबाजी जिसमें लॉटरी टिकट शामिल हैं, (छ) विदेशी मुद्रा व्यापार, और (ज) इस प्रकार के व्यवसाय जिनसे संबंधित भुगतान भारत में लागू कानून और कार्ड एसोसिएशनों के नेटवर्क नियमों के तहत नहीं किए जा सकते हैं, से संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए नहीं करेगा।

5. पूर्ण केवाईसी पीपीआई की विशेषताएं

5.1. इस नियम और शर्तें दस्तावेज़ में निहित अन्य लागू नियमों और शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित नियम और शर्तें पूर्ण केवाईसी पीपीआई पर लागू होंगी (लागू कानून में किसी भी बदलाव और/या इस संबंध में बैंक द्वारा समय-समय पर सूचित या निर्धारित किए जा सकने वाले किसी अन्य या भिन्न या संशोधित नियमों और शर्तों के अधीन):

(a) प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्रकृति में रीलोड करने योग्य होगा।

(b) इसके खंड 4.12 के अधीन, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में बकाया राशि किसी भी समय रु. 2,00,000/- से अधिक नहीं होगी।

(c) प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से धनराशि 'स्रोत पर वापस' (यानी वह भुगतान स्रोत जहां से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लोड किया गया था) ऐसे अन्य गंतव्य पर और ऐसे तरीके से हस्तांतरित की जा सकती है जैसा कि समय-समय पर लागू होने वाले आरबीआई विनियमों के तहत अनुमत हो सकता है, बैंक के विवेक पर और इस संबंध में बैंक द्वारा समय-समय पर अपने विवेक से निर्धारित सीमाओं के अधीन, जिसमें कार्डधारक की जोखिम प्रोफ़ाइल, अन्य परिचालन जोखिम आदि को ध्यान में रखना शामिल है, जो सीमाएं कार्डधारक पर बाध्यकारी होंगी।

(d) बैंक लगातार एक वर्ष की अवधि या ऐसी अन्य अवधि के लिए, जैसा कि आरबीआई विनियमों के तहत निर्धारित किया जा सकता है, बिना किसी वित्तीय लेनदेन वाले प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को निष्क्रिय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसे केवल सत्यापन और लागू उचित परिश्रम के बाद ही पुनः सक्रिय किया जाएगा।

(e) इन नियमों और शर्तों के लागू प्रावधानों और बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकने वाली अन्य शर्तों के अधीन, बैंक 'पूर्व-पंजीकृत लाभार्थियों' की सुविधा प्रदान कर सकता है जिसके द्वारा कार्डधारक ऐसे लाभार्थियों के बैंक खाते का विवरण या ऐसे लाभार्थियों को बैंक द्वारा जारी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स का विवरण (या इस उद्देश्य के लिए आरबीआई और बैंक द्वारा अनुमति दिए जाने पर और जब विभिन्न जारीकर्ताओं के ऐसे लाभार्थियों के पीपीआई का विवरण) प्रदान करके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में लाभार्थियों को पंजीकृत कर सकता है, बशर्ते कि कार्डधारक को इस संबंध में बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अतिरिक्त विवरण और ऐसे तरीके से प्रदान करने की भी आवश्यकता होगी।

(f) खंड 4.12 के अधीन, ऊपर दिए गए ऐसे पूर्व-पंजीकृत लाभार्थियों के मामले में, फंड ट्रांसफर सीमा प्रति लाभार्थी प्रति माह रु. 2,00,000/- या ऐसी कम सीमा से अधिक नहीं होगी जैसा कि बैंक इस सीमा के भीतर समय-समय पर अपने विवेक से निर्धारित कर सकता है, जिसमें कार्डधारक की जोखिम प्रोफ़ाइल, अन्य परिचालन जोखिम आदि को ध्यान में रखना शामिल है, जो सीमाएं कार्डधारक पर बाध्यकारी होंगी। खंड 7.5 के अधीन, अन्य सभी मामलों के लिए फंड ट्रांसफर सीमा प्रति माह रु.10,000/- तक सीमित होगी।

(g) प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की समाप्ति/बंद होने पर, कॉर्पोरेट/कार्डधारक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की अनुपयुक्त राशि को ऐसे खातों या कार्डधारक द्वारा धारित ऐसे अन्य प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट्स में हस्तांतरित करने का हकदार होगा जैसा कि बैंक लागू कानून के अनुसार समय-समय पर अनुमति दे सकता है।

5.2. कॉर्पोरेट स्वीकार करता है कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट (पूर्ण केवाईसी पीपीआई) की विशेषताएं, जिसमें पूर्वोक्त विशेषताएं शामिल हैं, बैंक द्वारा वेलकम किट, एसएमएस, ई-मेल/ डाक या किसी अन्य माध्यम से (या तो सीधे बैंक द्वारा या उसके सेवा प्रदाताओं या एजेंटों के माध्यम से) प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के निर्गम के समय कॉर्पोरेट को स्पष्ट रूप से सूचित या निर्धारित की गई हैं और कॉर्पोरेट ने इसे पूरी तरह से समझ लिया है और इससे बाध्य होने के लिए सहमत है और इसके तहत सभी लोडिंग और अन्य लेनदेन, जिसमें प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में फंड की पहली लोडिंग शामिल है, इसके अधीन होंगे।

6. स्मॉल पीपीआई की विशेषताएं

6.1. इस नियम और शर्तें दस्तावेज़ में निहित अन्य लागू नियमों और शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित नियम और शर्तें स्मॉल पीपीआई पर लागू होंगी (लागू कानून में किसी भी बदलाव और/या इस संबंध में बैंक द्वारा समय-समय पर सूचित या निर्धारित किए जा सकने वाले किसी अन्य या भिन्न या संशोधित नियमों और शर्तों के अधीन):

(a) प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्रकृति में रीलोड करने योग्य होगा।
(b) प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कार्डधारक द्वारा केवल माल और सेवाएँ खरीदने के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
(c) इसके खंड 4.12 के अधीन, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में बकाया राशि किसी भी समय रु. 10,000/- से अधिक नहीं होगी, और वित्तीय वर्ष के दौरान लोड की गई कुल राशि रु.1,20,000/- से अधिक नहीं होगी;
(d) प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को जारी करने की तारीख से 24 महीने की अवधि के भीतर पूर्ण केवाईसी पीपीआई में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर ऐसे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स में कोई और क्रेडिट अनुमत नहीं होगा। हालाँकि, कार्डधारक को प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग करने की अनुमति होगी;
(e) भविष्य में उसी कार्डधारक को उसी मोबाइल नंबर और वही न्यूनतम विवरण का उपयोग करके प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जारी नहीं किया जाएगा;
(f) बंद होने पर, कार्डधारक के पास प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से बंद करने से प्राप्त आय को 'स्रोत पर वापस' (यानी वह भुगतान स्रोत जहां से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लोड किया गया था) हस्तांतरित करने का विकल्प होगा।
(g) वैकल्पिक रूप से, कार्डधारक के पास बंद करने से प्राप्त आय को किसी अन्य बैंक खाते या ऐसे किसी अन्य गंतव्य पर, ऐसे तरीके से जैसा कि समय-समय पर लागू होने वाले आरबीआई विनियमों के तहत अनुमत हो सकता है, हस्तांतरित करने का विकल्प होगा, बशर्ते कि कार्डधारक पूर्ण केवाईसी प्रक्रिया पूरी करे। ऐसा फंड ट्रांसफर इस संबंध में बैंक द्वारा समय-समय पर अपने विवेक से निर्धारित सीमाओं के अधीन होगा, जिसमें कार्डधारक की जोखिम प्रोफ़ाइल, अन्य परिचालन जोखिम आदि को ध्यान में रखना शामिल है, जो सीमाएं कार्डधारक पर बाध्यकारी होंगी।
(h) बैंक लगातार एक वर्ष की अवधि या ऐसी अन्य अवधि के लिए, जैसा कि आरबीआई विनियमों के तहत निर्धारित किया जा सकता है, बिना किसी वित्तीय लेनदेन वाले प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को निष्क्रिय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसे केवल सत्यापन और लागू उचित परिश्रम के बाद ही पुनः सक्रिय किया जाएगा।

6.2. कॉर्पोरेट स्वीकार करता है कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट (स्मॉल पीपीआई) की विशेषताएं, जिसमें पूर्वोक्त विशेषताएं शामिल हैं, बैंक द्वारा एसएमएस या ई-मेल/ डाक या किसी अन्य माध्यम से (या तो सीधे बैंक द्वारा या उसके सेवा प्रदाताओं या एजेंटों के माध्यम से) प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के निर्गम के समय कॉर्पोरेट को स्पष्ट रूप से सूचित या निर्धारित की गई हैं और कॉर्पोरेट ने इसे पूरी तरह से समझ लिया है और इससे बाध्य होने के लिए सहमत है और इसके तहत सभी लोडिंग और अन्य लेनदेन, जिसमें प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में फंड की पहली लोडिंग शामिल है, इसके अधीन होंगे।

7. प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के अन्य नियम

7.1. प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो कार्डधारक को प्रदान किया गया है, एक प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट है, और इसलिए कार्डधारकों द्वारा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का उपयोग उन सभी नियमों और शर्तों के अधीन है जो आरबीआई द्वारा प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रूमेंट के उपयोग के संबंध में अनिवार्य किए जा सकते हैं, जिसमें पीपीआई मास्टर दिशानिर्देश बिना किसी सीमा के शामिल हैं।
7.2. कार्डधारक स्वीकार करता है कि पोर्टल के लिए कार्डधारक द्वारा प्रदान किए गए समान लॉगिन और क्रेडेंशियल्स, जिसमें पिन भी शामिल है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और बैंक द्वारा यहां प्रदान की गई अन्य सेवाओं के लिए निर्धारित किए जाएंगे, और यह बैंक द्वारा कार्डधारक को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है।
7.3. प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के प्रत्येक प्रकार/श्रेणी के विरुद्ध इंगित सभी वित्तीय सीमाओं का कार्डधारक द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा।
7.4. बैंक अपने विवेकानुसार, समय-समय पर निम्नलिखित व्यवस्था कर सकता है: (i) प्रति प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्रति दिन जोड़े जा सकने वाले लाभार्थियों की संख्या पर सीमा, (ii) प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट खोलने या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में फंड लोडिंग/रीलोडिंग करने या लाभार्थी जोड़ने के बाद फंड ट्रांसफर के लिए उपयुक्त कूलिंग अवधि, ताकि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग को कम किया जा सके और वही कार्डधारक पर बाध्यकारी होगा।
7.5. खंड 2 और 3 में उल्लिखित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के प्रत्येक प्रकार से संबंधित सभी सीमाएं बैंक द्वारा समय-समय पर अपने विवेकानुसार निर्धारित की जाने वाली निम्न सीमाओं के अधीन होंगी, जिसमें बैंक की आंतरिक जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार कार्डधारक की जोखिम धारणा पर विचार करना शामिल है, और ऐसी सभी निम्न सीमाएं कार्डधारक पर बाध्यकारी होंगी।
7.6. यहां किसी भी विपरीत बात के बावजूद, इन नियमों और शर्तों में, वॉलेट के प्रकार या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पर लागू विशिष्ट नियमों

और शर्तों सहित, बैंक के आंतरिक मापदंडों और नियमों के साथ-साथ पीपीआई मास्टर दिशानिर्देशों या अन्य लागू कानूनों के अनुसार समय-समय पर परिवर्तन के अधीन होंगे, और ऐसे परिवर्तन कार्डधारक और कॉर्पोरेट पर बाध्यकारी होंगे, जिसमें विभिन्न क्रेडिट, डेबिट, ट्रांसफर, भुगतान, लोडिंग सीमाएं आदि शामिल हैं। कार्डधारक का यह कर्तव्य होगा कि वह पीपीआई मास्टर दिशानिर्देशों/लागू कानून के साथ-साथ इन नियमों और शर्तों में परिवर्तनों से अवगत रहे, जो एचडीएफसी बैंक वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

8. रिफंड

8.1. पीपीआई के ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन, जिन्हें वह इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित कर सकता है, विफल/वापस/अस्वीकृत/रद्द किए गए लेनदेन के मामले में रिफंड (प्राप्त सीमा तक) बैंक द्वारा निर्धारित समय के भीतर पीपीआई पर लागू किया जाएगा, उस सीमा तक कि भुगतान शुरू में पीपीआई के डेबिट द्वारा किया गया था। बशर्ते, हालांकि, यहां कुछ भी इस तरह से नहीं समझा जाएगा कि बैंक की ऐसे रिफंड को सुनिश्चित करने या व्यापारियों या अन्य व्यक्तियों से इसके लिए मांग करने की जिम्मेदारी या देयता है, और बैंक को केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि जब रिफंड वास्तव में प्राप्त होता है तो उसे पीपीआई की बकाया राशि में जमा किया जाए।

8.2. हालांकि, किसी अन्य भुगतान इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके विफल/वापस/अस्वीकृत/रद्द किए गए लेनदेन के मामले में रिफंड पीपीआई में जमा नहीं किया जाएगा।

9. शुल्क और फीस

9.1. बैंक द्वारा जारी किए गए प्रत्येक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के लिए, कॉर्पोरेट पहले वर्ष के लिए जॉइनिंग फीस और उसके बाद प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक फीस के साथ-साथ अन्य शुल्क और प्रभार, यदि कोई हो, जो बैंक द्वारा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स (या उसके किसी भी वेरिएंट) के संबंध में देय के रूप में निर्दिष्ट किए गए हों, का भुगतान करेगा। शुल्क और फीस गैर-वापसी योग्य, गैर-हस्तांतरणीय होंगे। जॉइनिंग फीस, वार्षिक फीस और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के संबंध में कॉर्पोरेट द्वारा देय अन्य राशियां, जैसा कि वर्तमान में बैंक द्वारा निर्धारित की गई हैं, अनुसूची II में निर्धारित की गई हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से समय-समय पर जॉइनिंग फीस, वार्षिक फीस और अन्य राशियों की मात्रा को ऐसे परिवर्तन की सूचना कॉर्पोरेट को देकर बदलने का अधिकार रखेगा। संशोधित जॉइनिंग फीस, वार्षिक फीस और राशियां बैंक द्वारा उपरोक्त सूचना प्रदान करने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर प्रभावी हो जाएंगी।

9.2. कॉर्पोरेट इन नियमों और शर्तों की अवधि के दौरान सभी वर्तमान और भविष्य के करों और अन्य शुल्कों को वहन करेगा जो समय-समय पर किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जॉइनिंग फीस, वार्षिक फीस और कॉर्पोरेट द्वारा इन नियमों और शर्तों के तहत बैंक को भुगतान की गई अन्य राशियों और/या इन नियमों और शर्तों के अनुसरण में देय किसी अन्य राशि के संबंध में लगाए जाते हैं और बैंक द्वारा मांग पर उनका भुगतान करेगा। हालांकि, पार्टियां अपने आयकर स्वयं वहन करेंगी।

9.3. कॉर्पोरेट इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से बैंक को अधिकृत करता है और निर्देश देता है कि वह कॉर्पोरेट द्वारा बैंक के साथ रखे गए किसी भी खाते से इन नियमों और शर्तों के संबंध में कॉर्पोरेट द्वारा बैंक को देय किसी भी राशि के लिए डेबिट करे।

9.4. कॉर्पोरेट उन सभी लागतों और खर्चों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के उपयोग और सेवाओं के संबंध में लागू/देय और/या खर्च किए जा सकते हैं।

10. कॉर्पोरेट के प्रतिनिधित्व और वचन

10.1. कार्डधारक और कॉर्पोरेट में से प्रत्येक इसके द्वारा इन प्रस्तुतियों की तारीख को और उसके बाद, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट सुविधा का लाभ उठाने के दौरान प्रत्येक दिन प्रतिनिधित्व करते हैं और वचन देते हैं कि:

(a) यह अपने निगमन के न्यायाधिकार के कानूनों के तहत विधिवत रूप से संगठित, वैध रूप से मौजूद और अच्छी स्थिति में है।

(b) इसके पास इन प्रस्तुतियों के तहत अपने दायित्वों को निष्पादित करने, वितरित करने और प्रदर्शन करने और यहां निहित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सभी आवश्यक शक्तियां और प्राधिकार हैं। यहां अपने दायित्वों को प्रभावी करने के लिए कॉर्पोरेट के निदेशक मंडल से प्राधिकार सहित सभी आवश्यक आंतरिक

और कॉर्पोरेट अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं।

(c) कॉर्पोरेट और कार्डधारकों द्वारा बैंक को प्रदान की गई सभी जानकारी सत्य और सही है।

(d) ये प्रस्तुतियां वैध रूप से निष्पादित और वितरित की गई हैं और कॉर्पोरेट के कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्वों का गठन करती हैं।

(e) कार्डधारक भारतीय कानून के तहत अनुबंध करने के लिए सक्षम व्यक्ति है।

(f) सेवाओं का उपयोग केवल भारत के क्षेत्र के भीतर किया जाएगा और किसी भी सीमा-पार लेनदेन या उसके किसी भी हिस्से को प्रभावित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(g) इन नियमों और शर्तों के तहत अपने दायित्वों का निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन नहीं करेगा और करेगा:

  (i) किसी भी लागू कानून का उल्लंघन; या

  (ii) किसी भी समझौते, इंस्ट्रूमेंट, विनियमन, लाइसेंस या प्राधिकरण के साथ विरोध या किसी भी उल्लंघन या चूक का परिणाम जो इसके लिए या इसकी किसी भी संपत्ति के लिए बाध्यकारी है।

(h) इसके द्वारा कोई अन्य प्रतिबद्धताएं/समझौते नहीं किए गए हैं जो इन नियमों और शर्तों के नियमों या कॉर्पोरेट के दायित्वों का उल्लंघन कर सकते हैं।

(i) प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को लोड/रीलोड किए जाने पर, कॉर्पोरेट कार्डधारकों को इसकी सूचना देगा, और कार्डधारकों को समय-समय पर, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स पर उपलब्ध शेष राशि के बारे में सूचित रखेगा, जैसे भी आवधिक अंतराल पर बैंक द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

(j) कॉर्पोरेट यह सुनिश्चित करेगा कि कार्डधारक लागू कार्डधारक नियमों और शर्तों और आवेदन के समय बैंक द्वारा निर्धारित प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के उपयोग के लिए लागू अन्य नियमों और शर्तों का अनुपालन करता है। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कार्डधारक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के उपयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी जांच, मुकदमेबाजी या अभियोजन में बैंक के साथ सहयोग करेगा।

(k) इसने उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण लागू किए हैं (i) प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए, (ii) इन प्रस्तुतियों के प्रावधानों के विपरीत प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करने के लिए, और/या (iii) किसी भी कार्डधारक द्वारा अवैध या अनधिकृत उद्देश्यों के लिए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करने के लिए। यदि कोई कार्डधारक अवैध या अनधिकृत उद्देश्यों के लिए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करता है, तो कॉर्पोरेट तुरंत बैंक को इसकी सूचना देगा और किसी भी ऐसे अवैध या अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा किए गए किसी भी नुकसान, हानि, लागत और/या खर्चों के लिए जिम्मेदार होगा और बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और हानिरहित रखेगा।

(l) (i) कॉर्पोरेट द्वारा बैंक को प्रदान किए गए कार्डधारकों के विवरण में किसी भी परिवर्तन की स्थिति में;
(ii) किसी भी कार्डधारक की मृत्यु; या (iii) कोई भी कार्डधारक कॉर्पोरेट का कर्मचारी न रहने पर, कॉर्पोरेट तुरंत इसे लिखित रूप में बैंक को सूचित करेगा।

10.2. कॉर्पोरेट सभी लागू कानूनों का अनुपालन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कार्डधारक प्रचलित विदेशी विनिमय प्रबंधन कानूनों सहित सभी लागू कानूनों का अनुपालन करें।

10.3. कॉर्पोरेट यह सुनिश्चित करेगा कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स पर लोड/रीलोड किए जाने वाले आवश्यक राशियां पीपीआई मास्टर दिशानिर्देशों के तहत अनुमत समग्र सीमा के भीतर हों।

10.4. कॉर्पोरेट यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी परिस्थिति में प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कॉर्पोरेट के पक्ष में किसी भी भुगतान लेनदेन (चाहे कार्ड-उपस्थित हो या कार्ड-अनुपस्थित) को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जाएगा, चाहे वह कॉर्पोरेट से किसी भी सामान या सेवाओं की खरीद के लिए हो या अन्यथा।

10.5. कॉर्पोरेट यह सुनिश्चित करेगा कि कॉर्पोरेट डैशबोर्ड तक पहुंच केवल कॉर्पोरेट के उन कर्मचारियों/अधिकारियों तक सीमित है जिन्हें कॉर्पोरेट द्वारा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के विवरण तक पहुंचने और देखने के लिए इस संबंध में विधिवत अधिकृत किया गया है। कॉर्पोरेट यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी/अधिकृत अधिकारी सभी पासवर्ड, जिसमें कॉर्पोरेट डैशबोर्ड तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाने वाला पासवर्ड भी शामिल है, को गोपनीय और अच्छी तरह से सुरक्षित रखें और इसे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को न बताएं, जिसमें बैंक के किसी भी कर्मचारी और प्रतिनिधि शामिल हैं। बैंक किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, यदि कॉर्पोरेट को कॉर्पोरेट या उसके कर्मचारियों/अधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी तीसरे पक्ष को पासवर्ड का खुलासा करने के परिणामस्वरूप कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या परिणामी नुकसान होता है। कॉर्पोरेट आगे सहमत होता है और स्वीकार करता है कि यदि कॉर्पोरेट डैशबोर्ड और/या पोर्टल के एक्सेस क्रेडेंशियल्स के नुकसान के परिणामस्वरूप किसी अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा कोई निर्देश प्रभावित होते हैं, तो ऐसे सभी निर्देश कॉर्पोरेट द्वारा किए गए माने जाएंगे और ऐसे निर्देशों के प्रसंस्करण के

परिणामस्वरूप होने वाले सभी नुकसान कॉर्पोरेट के खाते में जाएंगे और बैंक ऐसे नुकसानों के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा। बैंक इस संबंध में किसी भी तरह से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा और पूरी जिम्मेदारी और दायित्व कॉर्पोरेट का होगा।

10.6. कॉर्पोरेट प्रत्येक कार्डधारक के केवाईसी दस्तावेजों को ऐसे तरीके से और ऐसे नियमों और शर्तों पर एकत्र और/या बनाए रखेगा जैसा कि बैंक इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित कर सकता है। कॉर्पोरेट अपने रिकॉर्ड में, कार्डधारकों को जारी किए गए सभी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के विवरण, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स पर लोड/रीलोड और उपयोग की गई राशियों और कार्डधारकों के वैध आईडी प्रूफ और पता प्रूफ को बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित रूप और तरीके से बनाए रखेगा। कॉर्पोरेट इस संबंध में बैंक द्वारा अनुरोध किए जाने पर तुरंत बैंक को ऐसा कोई भी डेटा या दस्तावेज प्रदान करेगा।

10.7. कॉर्पोरेट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को किसी भी व्यक्ति को नहीं बेचेगा/पुनः बेचेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कार्डधारक ऐसा न करें।

10.8. कॉर्पोरेट भारत में निगमित है/भारत में एक शाखा कार्यालय है। कॉर्पोरेट इसके द्वारा ऐसी सभी सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत होता है जिसकी बैंक को विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम ("**एफएटीसीए**") अनुपालन के संबंध में आवश्यकता हो सकती है, जिसमें (i) ऐसी जानकारी, फॉर्म, रिकॉर्ड, रिपोर्ट, डेटा प्रदान करना शामिल है जिसकी बैंक को इस संबंध में आवश्यकता हो सकती है, और (ii) बैंक को ऐसी उचित परिश्रम और/या निरीक्षण अभ्यास करने की अनुमति देना जो बैंक इस संबंध में उचित समझे।

10.9. न तो कॉर्पोरेट और न ही कॉर्पोरेट से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित कोई व्यक्ति (i) विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय, अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित सूची में शामिल है, या (ii) विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय, अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा 'विशेष रूप से नामित राष्ट्रीय' के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। कॉर्पोरेट सहमत है कि यदि पिछले वाक्य में निर्धारित स्थिति में कोई बदलाव होता है, तो बैंक तत्काल प्रभाव से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को रद्द/समाप्त करने का हकदार होगा।

10.10. कॉर्पोरेट इसके द्वारा वचन देता है कि कॉर्पोरेट स्वैच्छिक समापन के लिए आवेदन नहीं करेगा या अपने संबंध में दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कोई आवेदन/कार्यवाही दायर नहीं करेगा या ऐसी किसी भी कार्यवाही को दायर करने की सिफारिश के उद्देश्य से/की ओर निदेशकों या सदस्यों का कोई प्रस्ताव पारित नहीं करेगा।

10.11. कॉर्पोरेट इसके द्वारा स्वीकार करता है, सहमत होता है और पुष्टि करता है कि कॉर्पोरेट ने बैंक की ग्राहक संरक्षण नीति को पढ़ और समझ लिया है और यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक कार्डधारक एचडीएफसी बैंक वेबसाइट (https://www.hdfcbank.com/content/bbp/repositories/723fb80a- 2dde-42a3-9793-7ae1be57c87f/?path=/Footer/Useful%20Links/Citizen%27s%20Charter/accordions/Customer-Protection- Policy.pdf) पर उपलब्ध बैंक की ग्राहक संरक्षण नीति को पढ़ें और समझें और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के संबंध में इससे बाध्य होने के लिए स्वीकार करता है और सहमत होता है, जिसमें कार्डधारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के उपयोग के मामले में बिना किसी सीमा के शामिल है।

11. बैंक के अधिकार

11.1. यहां निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार में और बिना कोई कारण बताए, तत्काल प्रभाव से किसी भी समय (संबंधित प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट (इंस्ट्रूमेंट्स) की वैधता अवधि के दौरान सहित), किसी भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट या मूल्य या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से जुड़े विशेषाधिकारों को अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से किसी भी समय रद्द या ब्लॉक या निलंबित या वापस ले सकता है या नवीनीकरण करने से इनकार कर सकता है, जिसमें प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की वैधता अवधि से पहले किसी भी समय शामिल है:

(a) यदि इस समझौते को समाप्त करने की आवश्यकता आरबीआई या किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण द्वारा है;

(b) यदि बैंक तय करता है कि इस समझौते की निरंतरता उसकी प्रतिष्ठा को भौतिक नुकसान पहुंचाएगी;

(c) यदि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कार्ड सदस्य समझौते/कार्डधारक नियमों और शर्तों में उल्लिखित नियमों

और शर्तों के अनुरूप नहीं है;

(d) ऐसी स्थिति में जहां प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पर नकारात्मक शेष है जिसका भुगतान कॉर्पोरेट/कार्डधारक द्वारा नोटिस अवधि पूरी होने और कॉर्पोरेट को सूचना देने के बाद भी नहीं किया जाता है;

(e) और, जहां कॉर्पोरेट/कार्डधारक उन्हें जारी किए गए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बैंक की ग्राहक संरक्षण नीति के नियमों और शर्तों का पालन नहीं करता है।

11.2. प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स (किसी भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के रद्दीकरण, निलंबन या वापसी के संबंध में सहित) और इन नियमों और शर्तों के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और कॉर्पोरेट और कार्डधारक पर बाध्यकारी होगा।

12. निर्देश

12.1. बैंक कॉर्पोरेट डैशबोर्ड, पोर्टल, फैक्सिमाइल, कॉर्पोरेट के लेटरहेड पर पत्र या इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से निर्देश(शों) पर भरोसा करने का हकदार होगा। कॉर्पोरेट यह सुनिश्चित करेगा कि यहां उल्लिखित किसी भी माध्यम के माध्यम से प्रदान किए गए निर्देश(शों) को केवल अधिकृत अधिकारी(गण) द्वारा निष्पादित किया जाता है।

12.2. जहां निर्देश(शों) को फैक्सिमाइल, पंजीकृत मेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से प्रदान किया जाता है, ऐसे निर्देश(शों) को केवल निर्दिष्ट फैक्स नंबरों, कार्यालय पतों और ईमेल पतों पर भेजा जाएगा, जैसा भी मामला हो, जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर कॉर्पोरेट को सूचित किया जाता है।

12.3. कॉर्पोरेट अपनी सहमति देता है और विशेष रूप से पुष्टि करता है कि अधिकृत अधिकारी(गण) द्वारा कॉर्पोरेट डैशबोर्ड और/या निर्दिष्ट ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से बैंक को दिए गए निर्देश(शों) मान्य होंगे और वैध, प्रभावी और कॉर्पोरेट के खिलाफ कानूनी रूप से लागू करने योग्य होंगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस प्रकार दिए गए निर्देश(शों) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है या नहीं।

12.4. बैंक किसी भी निर्देश(शों) का सम्मान करने से इनकार करने का हकदार होगा जिसे यह अपने एकमात्र विवेकाधिकार में, अनधिकृत/अवैध/अपूर्ण/प्रक्रियात्मक रूप से दोषपूर्ण/अस्पष्ट मानता है। बैंक द्वारा ऐसे इनकार या किसी भी निर्देश(शों) को प्रभावित करने में किसी भी देरी के परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट या किसी तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

12.5. कॉर्पोरेट अपने अंत में मूल निर्देश(शों) को बनाए रखेगा और यदि बैंक को मिलान, जांच या अन्यथा के उद्देश्य के लिए मूल निर्देश(शों) की आवश्यकता होती है, तो कॉर्पोरेट तुरंत उसे बैंक को प्रदान करने का वचन देता है।

12.6. यहां निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, कॉर्पोरेट स्वीकार करता है और सहमत होता है कि बैंक विशेष रूप से प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट से संबंधित मामलों के संबंध में कार्डधारक द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर निर्भर रहने और आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा और कॉर्पोरेट बैंक, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों को उसके संबंध में किसी भी दायित्व से छूट देता है।

13. समाप्ति

13.1. बैंक, अपने एकमात्र विवेकाधिकार से, 30 (तीस) दिनों के पूर्व नोटिस के प्रावधान द्वारा, अनुसूची। में दर्शाए गए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के सभी या किसी भी वेरिएंट को समाप्त कर सकता है।

13.2. बैंक द्वारा ऐसी समाप्ति पर, कोई नया प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जारी नहीं किया जाएगा और पहले से जारी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के संबंध में मूल्य का पुनः लोडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले से जारी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की वैधता अवधि की समाप्ति तक चलते रहेंगे।

14. क्षतिपूर्ति

14.1. बैंक द्वारा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स प्रदान करने के विचार में, कॉर्पोरेट स्पष्ट रूप से और निःसंदेह सहमत होता है और इसके द्वारा बैंक और उसके अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, एजेंटों, सलाहकारों और अन्य प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों और उनके सभी दावों, क्षतियों, नुकसानों, लागतों और खर्चों से, कॉर्पोरेट और/या उसके कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा किसी भी कार्रवाई, चूक, उल्लंघन या इस समझौते की शर्तों के चूक से उत्पन्न होने वाले, कार्डधारक/कॉर्पोरेट के निर्देश(शों) के निष्पादन के दौरान और/या अन्यथा बैंक द्वारा इसके परिणामस्वरूप या इसके अनुसार प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स प्रदान करने के कारण किए गए खर्चों की क्षतिपूर्ति, बचाव और सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें बिना किसी सीमा के निम्नलिखित मामले शामिल हैं:

(a) कार्डधारक/निर्देश(शों) के निर्देशों पर बैंक, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों या एजेंटों द्वारा की गई या छोड़ी गई किसी भी कार्रवाई के लिए;
(b) कॉर्पोरेट द्वारा बैंक को प्रदान की गई दोषपूर्ण, गलत या अनधिकृत जानकारी के परिणामस्वरूप;
(c) किसी भी कार्डधारक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बैंक के खिलाफ किए गए किसी भी दावे या शुरू की गई कार्यवाही।

15. शासी कानून, न्यायाधिकार और मध्यस्थता

15.1. ये प्रस्तुतियां भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगी, और उनके अनुसार समझी जाएंगी। पक्ष सहमत हैं कि यदि नीचे खंड 15.2 (शासी कानून, न्यायाधिकार और मध्यस्थता) के प्रवर्तन के लिए अदालतों की प्रक्रिया को लागू करने की आवश्यकता है, जिसमें नीचे खंड 15.2 (शासी कानून, न्यायाधिकार और मध्यस्थता) के लागू होने से पहले, दौरान या बाद में किसी भी अंतरिम राहत की मांग करना शामिल है, मुंबई, भारत की सक्षम अदालतों का विशेष न्यायाधिकार होगा और इसके दोनों पक्ष उसी के अधीन हैं।

15.2. इन प्रस्तुतियों से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद, दावे और प्रश्न जो एक ओर बैंक और/या उसके प्रतिनिधियों और/या उसके असाइन, और दूसरी ओर कॉर्पोरेट के बीच, इन प्रस्तुतियों से संबंधित या संबंधित या इसमें निहित किसी भी चीज से संबंधित या किसी भी तरह से संबंधित या इन प्रस्तुतियों से उत्पन्न होने वाले हैं, उन्हें बैंक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों द्वारा शासित होगी। इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ का पुरस्कार इन प्रस्तुतियों के सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। इन प्रस्तुतियों की शर्तों के तहत यहां परिकल्पित मध्यस्थता कार्यवाही के लिए मध्यस्थता का स्थान मुंबई, भारत होगा।

15.3. इस खंड 15 (शासी कानून, न्यायाधिकार और मध्यस्थता) में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि बैंक लागू कानून के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों अधिनियम, 1993 (51 का 1993) को देय ऋण की वसूली के तहत स्थापित किसी भी ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष इन प्रस्तुतियों के तहत किसी भी विवाद या मतभेद को संदर्भित करने/उठाने के लिए बाध्य है, तो मुंबई, भारत का ऋण वसूली न्यायाधिकरण ऐसे विवाद, मतभेद या दावे पर विशेष न्यायाधिकार होगा और उसे ऊपर खंड 15.2 (शासी कानून, न्यायाधिकार और मध्यस्थता) के तहत मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं किया जाएगा।

16. जानकारी का प्रकटीकरण

16.1. कॉर्पोरेट और कार्डधारक, दोनों ने एचडीएफसी बैंक की गोपनीयता नोटिस (www.hdfcbank.com पर उपलब्ध) को पढ़, समझ लिया है और इसके द्वारा क्रमशः स्वीकार करते हैं।

16.2. कॉर्पोरेट और कार्डधारक, दोनों इसके द्वारा क्रमशः एचडीएफसी बैंक (जिस अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारियों और असाइन को शामिल माना जाएगा) को निम्नलिखित निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए डेटा या उसके किसी भी हिस्से को संसाधित करने के लिए अधिकृत करते हैं:

(i) किसी भी अनुरोधित उत्पाद के लिए आवेदन/अनुरोध के मूल्यांकन या प्रसंस्करण के संबंध में, या किसी भी अनुबंध में प्रवेश करने से पहले कोई कदम उठाने के लिए, या अनुरोधित उत्पादों के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए, या किसी अनुबंध/लेनदेन के निष्पादन या आगे बढ़ाने के संबंध में, एचडीएफसी बैंक या कॉर्पोरेट या कार्डधारक या किसी अन्य मध्यस्थ द्वारा, किसी भी अनुबंध या उसके किसी भी हिस्से या किसी अनुरोधित उत्पाद के संबंध में किसी भी नियामक या कानूनी दायित्वों का प्रदर्शन, जिसका लाभ उठाया गया है या उसके अनुसरण में;
(ii) उपरोक्त उद्देश्यों के संबंध में किसी भी व्युत्पन्न डेटा के व्युत्पन्न और साझा करने के संबंध में (एचडीएफसी बैंक और किसी भी प्रोसेसिंग एंटिटी के बीच);

(iii) संपर्क करने, संपर्क स्थापित करने, ठिकाने के संबंध में, जिसमें ईमेल, डाक पता, टेलीफोन, सोशल मीडिया, एप्लिकेशन/इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर बैनर, अधिसूचनाएं, वेबसाइट, तीसरे पक्ष/अन्य व्यक्तियों के परिसर के माध्यम से, खाते के प्रदर्शन की निगरानी के लिए या संदिग्ध गतिविधियों, लेनदेन, धोखाधड़ी का पता लगाने, रोकथाम, रिपोर्टिंग, अन्य लोगों को सतर्क करने की निगरानी के लिए;

(iv) उपरोक्त में से किसी के लिए किसी भी एनालिटिक्स, स्वचालित प्रसंस्करण, एल्गोरिदम, रोबोटिक्स, प्रोफाइलिंग, एन्क्रिप्शन, कोडिंग, अनामीकरण, आदि को तैनात करने के संबंध में।

16.3. कॉर्पोरेट और कार्डधारक, दोनों इसके द्वारा क्रमशः प्रोसेसिंग एंटिटीज को किसी भी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए, डेटा या उसके किसी भी हिस्से को संसाधित करने के लिए अधिकृत करते हैं।

16.4. उपरोक्त सहमतियों, प्राधिकरणों और उद्देश्यों के लिए, यह माना जाएगा कि कॉर्पोरेट/कार्डधारक ने सभी डेटा अलग से इसके तहत प्रस्तुत किए हैं।

16.5. कॉर्पोरेट और कार्डधारक, दोनों इसके द्वारा क्रमशः पुष्टि करते हैं कि कॉर्पोरेट/कार्डधारक द्वारा दिया गया और समय-समय पर दिया जाने वाला डेटा सभी मामलों में सटीक, अद्यतन और पूर्ण है।

16.6. कॉर्पोरेट और कार्डधारक, दोनों इसके द्वारा क्रमशः सहमत होते हैं कि निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपरोक्त सहमतियां/प्राधिकरण ऐसे आवेदन की वैधता/उत्पाद की अवधि/किसी भी लेनदेन के पूर्ण होने से परे जीवित रहेंगे, जिस हद तक कोई भी निर्दिष्ट उद्देश्य जीवित रहते हैं।

16.7. इस दस्तावेज़ के तहत दी गई या अस्वीकार की गई सहमतियां प्राप्त या दी गई किसी अन्य सहमति को सीमित नहीं करतीं।

16.8. कॉर्पोरेट और कार्डधारक, दोनों इसके द्वारा क्रमशः स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि सभी निर्दिष्ट उद्देश्य कानूनी उद्देश्य हैं।

16.9. कॉर्पोरेट और कार्डधारक, दोनों इसके द्वारा क्रमशः पुष्टि करते हैं कि यह सहमति किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी दबाव, प्रभाव या जबरदस्ती के बिना स्वतंत्र रूप से दी जा रही है, और यह सहमति एक सूचित और बिना शर्त सहमति है।

16.10. कॉर्पोरेट और कार्डधारक, दोनों इसके द्वारा क्रमशः समझते हैं और सहमत होते हैं कि डेटा का प्रसंस्करण निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आवश्यक है।

16.11. कॉर्पोरेट और कार्डधारक, दोनों इसके द्वारा क्रमशः स्वीकार करते हैं कि यह तथ्य कि इस सहमति का अनुरोध किया गया है या कॉर्पोरेट/कार्डधारक यह सहमति दे रहा है, अपने आप में उन आधारों या आधारों को सीमित या पूर्वाग्रह नहीं करता है जो एचडीएफसी बैंक या प्रोसेसिंग एंटिटीज में से किसी के पास बिना सहमति के डेटा को संसाधित करने के लिए हो सकते हैं, और यह सहमति किसी भी ऐसे अन्य आधार या आधार का अपमान नहीं है और किसी भी ऐसे आधार या आधार के अतिरिक्त है। स्पष्टता के लिए, भले ही यह सहमति वापस ले ली जाए, एचडीएफसी बैंक और/या प्रोसेसिंग एंटिटीज अनुरोधित उत्पादों के संबंध में अनुबंध के प्रदर्शन के लिए या अनुबंध के अनुसरण में कोई कदम उठाने के लिए या उसके अनुसरण में एचडीएफसी बैंक के वैध हितों की रक्षा के लिए, या जब यह सहमति प्रसंस्करण का एकमात्र आधार या आधार नहीं है, डेटा को संसाधित करना जारी रख सकते हैं।

16.12. कॉर्पोरेट और कार्डधारक, दोनों इसके द्वारा क्रमशः स्वीकार करते हैं कि चूंकि इस सहमति के आधार पर एचडीएफसी बैंक अनुरोधित उत्पादों के संबंध में एक अनुबंध में प्रवेश कर सकता है और अनुबंध के उद्देश्यों के लिए डेटा को संसाधित करना आवश्यक है और होगा, इस सहमति की वापसी एचडीएफसी बैंक और/या प्रोसेसिंग एंटिटीज को अनुबंध के उद्देश्यों के लिए डेटा को संसाधित करना जारी रखने से नहीं रोकेगी।

16.13. कॉर्पोरेट और कार्डधारक, दोनों इसके द्वारा क्रमशः व्हाट्सएप, एसएमएस, एप्स, इन-एप नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन और ई-मेल, सोशल मीडिया या एचडीएफसी बैंक द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य चैनल के माध्यम से संचार प्राप्त करने के लिए सहमति देते हैं।

16.14. कार्डधारक इसके द्वारा सहमत होता है और स्वीकार करता है कि सेवाएं प्रदान करने के लिए, बैंक पंजीकरण के दौरान कार्डधारक के मोबाइल डिवाइस को कुकीज़/टोकन के रूप में या अन्यथा डेटा भेज सकता है और कार्डधारक के मोबाइल डिवाइस से एसएमएस शुरू कर सकता है, और कार्डधारक इसके द्वारा स्पष्ट रूप से बैंक को ऐसा डेटा भेजने और ऐसे एसएमएस शुरू करने के लिए अधिकृत करता है जो इस संबंध में आवश्यक हो सकते हैं।

16.15. कॉर्पोरेट इसके द्वारा सहमत होता है कि कॉर्पोरेट अपना मोबाइल नंबर और/या बैंक के साथ पंजीकृत ईमेल पता, पीपीआई के लिए, कॉर्पोरेट डैशबोर्ड, पोर्टल और/या नेटबैंकिंग के माध्यम से बदल सकता है। बैंक, बैंक के साथ पंजीकृत कॉर्पोरेट के मौजूदा मोबाइल नंबर और/या ईमेल पते पर ओटीपी भेजकर ऐसे अनुरोध को प्रमाणित कर सकता है। कॉर्पोरेट इसके द्वारा सहमत होता है और पुष्टि करता है कि ऐसे परिवर्तन के अनुसरण में, नया मोबाइल नंबर और/या ईमेल पता बैंक के रिकॉर्ड में कॉर्पोरेट के पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल पते ("**संशोधित पंजीकृत संपर्क**") के रूप में, पीपीआई के लिए पंजीकृत होगा, और कोई भी भविष्य का संचार, ओटीपी आदि बैंक द्वारा ऐसे संशोधित पंजीकृत संपर्कों पर भेजे जा सकते हैं और बैंक उसके संबंध में कॉर्पोरेट को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

17. इलेक्ट्रॉनिक संचार

17.1. कॉर्पोरेट स्वीकार करता है कि कॉर्पोरेट डैशबोर्ड, फैक्सिमाइल या इलेक्ट्रॉनिक मेल (सामूहिक रूप से "**इलेक्ट्रॉनिक संचार**") के माध्यम से निर्देश(शों) का संचारण कई जोखिमों से जुड़ा है, जिसमें धोखाधड़ीपूर्ण परिवर्तन और गलत संचारण और गोपनीयता की अनुपस्थिति की संभावनाएं शामिल हैं। हालांकि, कॉर्पोरेट इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से बैंक को निर्देश(शों) प्रदान करने के इच्छुक है और ऐसी सुविधा के किसी भी दुरुपयोग या अनधिकृत उपयोग के सभी संबंधित जोखिमों और जिम्मेदारी को वहन करने के लिए इच्छुक और सहमत है।

17.2. बैंक द्वारा इसकी अनुमति देने के विचार में, कॉर्पोरेट इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से कॉर्पोरेट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रदान करने और/या बैंक द्वारा उसी पर भरोसा करने के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा किए गए किसी भी नुकसान, क्षति, दावों, लागतों या खर्चों (वकील की फीस और जेब के खर्च सहित) के लिए हर समय बैंक को क्षतिपूर्ति करने और हानिरहित रखने के लिए सहमत होता है।

18. सेट-ऑफ और ग्रहणाधिकार

यहां या किसी अन्य दस्तावेज/व्यवस्था में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद: (i) बैंक के प्रति कॉर्पोरेट के सभी और किसी भी वर्तमान और भविष्य की देनदारियों के संबंध में, चाहे इन नियमों और शर्तों के तहत या किसी अन्य दायित्व/ऋण/सुविधाओं/उधार/दस्तावेज के तहत, चाहे ऐसी देनदारियां क्रिस्टलीकृत हों/हों, वास्तविक या आकस्मिक, प्राथमिक या संपार्श्विक या कई या संयुक्त रूप से अन्य लोगों के साथ, चाहे मुख्य ऋणी के रूप में और/या गारंटर के रूप में और/या अन्यथा (सामूहिक रूप से "**देयता**(**ओं**"), बैंक के पास, किसी भी सामान्य ग्रहणाधिकार या समान अधिकार के अतिरिक्त जिसके लिए वह एक बैंकर के रूप में कानून, अभ्यास, रिवाज या अन्यथा द्वारा हकदार हो सकता है, कॉर्पोरेट के सभी वर्तमान और भविष्य के स्टॉक, शेयर, प्रतिभूतियों, संपत्ति, बही ऋणों, सभी खातों में सभी धनराशियों पर, चाहे वर्तमान, बचत, ओवरड्राफ्ट, निश्चित या अन्य जमा हों, बैंक के पास या हिरासत में, कानूनी या रचनात्मक रूप से, अब या भविष्य में, चाहे कॉर्पोरेट की समान या भिन्न क्षमता में, और चाहे अन्य लोगों के साथ अलग-अलग या संयुक्त रूप से, चाहे किसी भी बैंकिंग संबंध, सुरक्षित हिरासत, संग्रह, या अन्यथा के लिए, एक विशिष्ट और विशेष ग्रहणाधिकार होगा, और (ii) अलग से, बैंक के पास, बिना नोटिस के और बिना कॉर्पोरेट की सहमति के, सेट-ऑफ, ट्रांसफर, बिक्री, वसूली, समायोजन करने का स्पष्ट अधिकार होगा, सभी खातों में ऐसी सभी राशियों को उपयुक्त करने का (चाहे समय से पहले या बैंक के विवेकानुसार परिपक्वता पर), प्रतिभूतियां, राशियां और संपत्ति जैसा कि उपर्युक्त है (चाहे किसी विशेष देयता के लिए चिह्नित हो या न हो) वसूली के उद्देश्य से या किसी भी देयताओं के संबंध में किसी भी बकाया के खिलाफ और कॉर्पोरेट के सभी या किसी भी खातों को जोड़ने या एकत्रित करने और किसी भी धनराशि को सेट-ऑफ करने के लिए, चाहे समान प्रकार या प्रकृति के हों या न हों और चाहे समान क्षमता में रखे गए हों या नहीं, जिसमें ऐसे दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार देय होने पर किसी भी देयताओं के किसी भी हिस्से के भुगतान में किसी भी चूक पर शामिल है। (यह खंड फ्लेक्सी बेनिफिट प्रोग्राम के तहत मील वॉलेट के लिए लागू नहीं है)।

19. परिवर्तनों की अधिसूचना

19.1. एचडीएफसी बैंक के पास किसी भी समय पूर्ण विवेकाधिकार होगा, (क) इन नियमों और शर्तों में से किसी को संशोधित या पूरक करने के लिए; और/या (ख) प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पर प्रस्तावित किसी भी विशेषता और/या लाभ को बदलने के लिए, जिसमें बिना किसी सीमा के, ऐसे परिवर्तन शामिल हैं जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के संबंध में शुल्क या दरों और/या शुल्क की गणना के तरीके को प्रभावित करते हैं। एचडीएफसी बैंक संशोधित शर्तों, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट की विशेषताओं में किए गए परिवर्तनों, और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के संबंध में संशोधित ब्याज, शुल्क और दरों को एचडीएफसी बैंक वेबसाइट पर होस्टिंग करके या किसी अन्य तरीके से, जैसा कि एचडीएफसी बैंक द्वारा समय-समय पर तय किया जा सकता है, संप्रेषित करेगा।

19.2. कार्डधारक और कॉर्पोरेट नियमों और शर्तों के नवीनतम संस्करणों की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होंगे जैसा कि समय-समय पर एचडीएफसी बैंक वेबसाइट पर पोस्ट किया जा सकता है, और एचडीएफसी बैंक वेबसाइट पर संशोधित नियमों और शर्तों को होस्ट करने के बाद प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का उपयोग जारी रखकर संशोधित नियमों और शर्तों को स्वीकार किया माना जाएगा। यह कार्डधारक और कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी होगी कि वह नियमों और शर्तों के नवीनतम संस्करण से अपने आप को अपडेट रखे और एचडीएफसी बैंक इस नियम और शर्तें दस्तावेज़ में किए गए किसी भी परिवर्तन, विलोपन या जोड़ के बारे में कॉर्पोरेट/कार्डधारक को सूचित करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

19.3. कार्डधारक और कॉर्पोरेट स्वीकार करते हैं, सहमत होते हैं और पुष्टि करते हैं कि एचडीएफसी बैंक, इन नियमों और शर्तों और/या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के संबंध में,

ऐसे व्यापार प्रतिनिधियों/तीसरे पक्ष के उप-ठेकेदारों/एजेंटों/सेवा प्रदाताओं का उपयोग कर सकता है जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

19.4. कार्डधारक और कॉर्पोरेट इसके द्वारा स्वीकार करते हैं, सहमत होते हैं और पुष्टि करते हैं कि कार्डधारक और कॉर्पोरेट ने एचडीएफसी बैंक वेबसाइट (https://www.hdfcbank.com/assets/pdf/Customer-Protection-Policy.pdf) पर उपलब्ध एचडीएफसी बैंक की ग्राहक संरक्षण नीति को पढ़ और समझ लिया है और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के संबंध में उसके द्वारा बाध्य होने के लिए स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं, जिसमें कार्डधारक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के उपयोग के मामले में बिना किसी सीमा के शामिल है।

19.5. कार्डधारक और कॉर्पोरेट स्वीकार करते हैं, सहमत होते हैं और पुष्टि करते हैं कि ये नियम और शर्तें केवल एचडीएफसी बैंक और कार्डधारक/आवेदक के बीच हैं और किसी अन्य तीसरे पक्ष के पास इसके तहत कोई अधिकार या दायित्व नहीं हैं।

19.6. कॉर्पोरेट आवेदन प्रस्तुत करके नियमों और शर्तों को स्वीकार करता है और ऐसी प्रस्तुति पर, नियम और शर्तें प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और इन प्रस्तुतियों के विषय वस्तु के संबंध में कॉर्पोरेट और एचडीएफसी बैंक के बीच समझौते का प्रतिनिधित्व करेंगी।

19.7. कार्डधारक और कॉर्पोरेट प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के उपयोग द्वारा नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के पहले उपयोग पर, नियम और शर्तें प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट और इन प्रस्तुतियों के विषय वस्तु के संबंध में कॉर्पोरेट और/या कार्डधारक, जैसा भी मामला हो, और एचडीएफसी बैंक के बीच समझौते का प्रतिनिधित्व करेंगी।

20. असाइनमेंट

20.1. ये नियम और शर्तें, और यहां दिए गए कोई भी अधिकार और लाइसेंस, कार्डधारक और/या कॉर्पोरेट द्वारा स्थानांतरित या असाइन नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन बैंक द्वारा बिना किसी प्रतिबंध के असाइन किए जा सकते हैं।

20.2. यदि बैंक किसी या सभी सेवाओं के लिए एक नए सेवा प्रदाता या उप-ठेकेदार में स्थानांतरित होने का निर्णय लेता है, तो कार्डधारक और/या कॉर्पोरेट को उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। कार्डधारक और कॉर्पोरेट इसके द्वारा बैंक को अपने क्रेडेंशियल्स, डेटा साझा करने और डेटा को नए सेवा प्रदाता में स्थानांतरित करने के लिए स्पष्ट सहमति देते हैं।

21. देयता से छूट

21.1. इन नियमों और शर्तों के किसी भी अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक इन नियमों और शर्तों के संबंध में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी हानि या क्षति के लिए कार्डधारक और/या कॉर्पोरेट के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, जिसमें बिना किसी सीमा के, निम्नलिखित से उत्पन्न होने वाली कोई भी हानि या क्षति शामिल है: (क) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का सम्मान करने या स्वीकार करने से इनकार; (ख) प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के समर्पण के समय बैंक के प्रतिनिधि के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को कार्डधारक द्वारा या कॉर्पोरेट द्वारा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट सौंपना; (ग) कार्डधारक की पहुंच में कोई रुकावट या रोक और/या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का उपयोग।

22. विविध

22.1. लागत: कॉर्पोरेट सहमत होता है और स्वीकार करता है कि सभी कर, दरें, शुल्क (स्टांप शुल्क सहित), प्रभार और अन्य कर और दायित्व, मौजूदा और भविष्य के, जो इन प्रस्तुतियों के संबंध में बैंक पर लगाए जा सकते हैं, बैंक द्वारा मांग की जाने पर कॉर्पोरेट द्वारा तुरंत देय होंगे।

22.2. छूट: बैंक द्वारा इन प्रस्तुतियों के किसी भी प्रावधान के किसी भी उल्लंघन की छूट, समान या किसी अन्य प्रावधानों के किसी भी पूर्व, समवर्ती या बाद के उल्लंघन की छूट नहीं मानी जाएगी, और कोई भी छूट तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

22.3. पृथक्करणीयता: यदि इन प्रस्तुतियों का कोई प्रावधान अमान्य, अप्रवर्तनीय है या कानून द्वारा निषिद्ध है,

तो ये प्रस्तुतियां ऐसे प्रावधान के संबंध में विभाज्य मानी जाएंगी और ऐसा प्रावधान अप्रभावी होगा और यहां किसी भी पक्ष से दूसरे पक्ष को जाने वाले विचार का हिस्सा नहीं होगा, और इन प्रस्तुतियों का शेष भाग वैध, बाध्यकारी बना रहेगा जैसे कि ऐसा प्रावधान यहां शामिल नहीं किया गया था।

22.4. उप-ठेकेदार: कॉर्पोरेट स्वीकार करता है, सहमत होता है और पुष्टि करता है कि बैंक, इन प्रस्तुतियों और/या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के संबंध में, ऐसे तृतीय-पक्ष उप-ठेकेदारों/एजेंटों/सेवा प्रदाताओं का उपयोग कर सकता है जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

अनुसूची I
प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट वेरिएंट

निम्नलिखित प्रीपेड कार्ड वेरिएंट और उनकी उपयोग विशेषताएं हैं:

a. फ्लीट एक्सप्रेस सॉल्यूशन: एटीएम पीओएस, ई-कॉम और कॉन्टैक्टलेस
b. फ्लेक्सीबेनिफिट्स सॉल्यूशन: पीओएस ई-कॉम और कॉन्टैक्टलेस
c. पेटी कैश एक्सपेंस सॉल्यूशन: एटीएम, पीओएस, ई-कॉम और कॉन्टैक्टलेस
पेरोल सॉल्यूशन: एटीएम, पीओएस, ई-कॉम और कॉन्टैक्टलेस

अनुसूची II शुल्क

उत्पाद विशेषताएं और लाभ	शुल्क जी फीस
फ्लीटएक्सप्रेस सॉल्यूशन - कार्ड वैधता 5 वर्ष	
i. कार्ड का प्रकार - ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट	a) जॉइनिंग फीस - रु. 600/- + जीएसटी प्रति कार्ड b) वार्षिक फीस - रु. 600/- + जीएसटी प्रति कार्ड c) कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क - रु 135/- + जीएसटी
ii. रीलोडेबल	
iii. उद्देश्य - फ्लीट बिजनेस का प्रबंधन करना	
iv. अधिकतम बकाया मूल्य - रु. 200,000/-	
फ्लेक्सीबेनिफिट्स सॉल्यूशन - कार्ड वैधता 5 वर्ष	
i. कार्ड का प्रकार - ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट	a) जॉइनिंग फीस - रु. 135/- + जीएसटी प्रति कार्ड b) वार्षिक फीस - रु. 135/- + जीएसटी प्रति कार्ड c) कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क - रु 135/- + जीएसटी
ii. रीलोडेबल	
iii. उद्देश्य - अपने कर्मचारियों को कर लाभ प्रदान करना	
iv. अधिकतम बकाया मूल्य - रु. 200,000/-	
पेटी कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन - कार्ड वैधता 5 वर्ष	

i. कार्ड का प्रकार - ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट	a) जॉइनिंग फीस - रु. 600/- + जीएसटी b) वार्षिक फीस - रु. 600/- + जीएसटी c) कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क - रु 135/- + जीएसटी
ii. रीलोडेबल	
iii. उद्देश्य - कॉर्पोरेट को पेटी कैश समाधान	
iv. अधिकतम बकाया मूल्य - रु. 200,000/-	
पेरोल सॉल्यूशन - कार्ड वैधता 5 वर्ष	
i. कार्ड का प्रकार - ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट	a) जॉइनिंग फीस - रु. 250/- (रुपये दो सौ पचास मात्र) प्रति प्रीपेड कार्ड प्लस लागू कर। b) वार्षिक फीस – शून्य c) वॉलेट से बैंक खाते में स्थानांतरण शुल्क d) कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क – रु 135/- प्लस लागू कर
ii. रीलोडेबल	
iii. उद्देश्य - कॉर्पोरेट को पेरोल समाधान	
iv. अधिकतम बकाया मूल्य - रु. 200,000/-	

अस्वीकरण : उपरोक्त दस्तावेज़ मूल अंग्रेजी संस्करण का अनुवाद है। इसकी विषय-वस्तु के संबंध में यदि कोई भी विसंगति आती है तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा। कोई भी पूछताछ करने के लिए कृपया अपनी स्थानीय एचडीएफसी बैंक शाखा से संपर्क करें।